भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2015-16

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 36(2) के
संदर्भ में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत भारत में बैंकिंग की
प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2015-16

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में **http://www.rbi.org.in** पर उपलब्ध है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा अल्को कॉरपोरेशन, गाला सं.ए-25, ए विंग, तल मंज़िल, वीरवानी इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400 063 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
Governor

प्रेषण-पत्र

वि.स्थि.इ.76/01.04.003/2016-17

29 दिसंबर 2016
08 पौष 1938 (शक)

प्रिय श्री लवासा,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2015-16 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

उर्जित आर. पटेल

उर्जित आर. पटेल

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली-110 001

केन्द्रीय कार्यालय भवन, 18वी मंज़ील, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001. भारत
फोन : +91 22 2266 0868 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : urjitpatel@rbi.org.in

Central Office Building, 18th Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001. INDIA
Tel : +91 22 2266 0868 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : urjitpatel@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषयवस्तु

		पृष्ठ सं.
चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची		**i**
अध्याय I	**: परिदृश्य और नीतिगत परिवेश**	**1-5**
	परिचय	1
	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए किए गए प्रमुख नीतिगत उपाय	1
	दबावग्रस्तता से निपटने के लिए प्रणाली की क्षमता में सुधार हेतु उपाय	1
	पर्यवेक्षीय उपाय	2
	वित्त की उपलब्धता बढ़ाने और उसके विस्तार संबंधी उपाय	3
	अन्य उपाय	4
	सहकारी एवं गैर-बैंकिंग खंडों में विनियामकीय एवं पर्यवेक्षीय उपाय	4
	बैंकिंग क्षेत्र के लिए भावी दिशा	4
अध्याय II	**: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन और कार्य-निष्पादन**	**6-15**
	समेकित परिचालन	6
	चालू और बचत खाता जमारशियां	6
	ऋण-जमा अनुपात	7
	देयताओं और आस्तियों की परिपक्वता का स्वरूप	7
	तुलनपत्रेतर परिचालन	7
	एससीबी का वित्तीय निष्पादन	8
	आस्तियों और लाभ में बैंक समूह-वार हिस्सा	9
	एनपीए की वसूली	9
	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण	10
	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र	10
	खुदरा ऋण	10
	संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण	11
	एससीबी के स्वामित्व का स्वरूप	11
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12
	स्थानीय क्षेत्र बैंक	12
	ग्राहक सेवा	13
	एटीएम की संख्या में वृद्धि	13
	एटीएम का विस्तार	13
	ऑफसाइट-एटीएम	14
	व्हाइट लेबल एटीएम	14
	डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड	14
	प्रीपेड भुगतान लिखत	15

पृष्ठ सं.

अध्याय III : सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां **16-25**
परिचय 16
शहरी सहकारी बैंक 16
तुलन-पत्र से आय-व्यय 16
लाभप्रदता 16
आस्ति गुणवत्ता 17
शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां 18
कोर बैंकिंग समाधान को लागू किया जाना 19
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित रूझान 19
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम 20
ग्रामीण सहकारी बैंक 20
अल्पावधि ग्रामीण ऋण संस्था - राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) 21
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां 23
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) 23
दीर्घावधि ग्रामीण ऋण 24
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) 24
प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) 24
अध्याय IV : गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं **26-34**
परिचय 26
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) 26
तुलन-पत्र 26
वित्तीय निष्पादन 27
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 27
पूंजी पर्याप्तता 28
आस्ति गुणवत्ता 28
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 28
जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) 30
तुलन-पत्र 30
एनबीएफसीडी की समग्र सार्वजनिक जमाराशि 30
वित्तीय निष्पादन 31
एनबीएफसी-डी की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की स्थिति 31
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) 31
तुलन-पत्र 31
आस्ति गुणवत्ता 32
प्राथमिक डीलर (पीडी) 32
एकल प्राथमिक डीलरों का वित्तीय निष्पादन 33
एकल प्राथमिक डीलरों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति 33
एनबीएफसी क्षेत्र का समग्र अनुमान 33

पृष्ठ सं.

अध्याय V : वित्तीय समावेशन : नीति एवं प्रगति **35-41**

वित्तीय समावेशन : नीतिगत दृष्टिकोण एवं हस्तक्षेप 35

प्रतिनिधि बैंकिंग की अनुमति प्रदान करना 35

2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना 35

2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलना 35

वित्तीय समावेशन की योजनाएं 35

अपने ग्राहक को जानें संबंधी ज़रूरतों में रियायत दी गई 36

हाल की नीतिगत पहल एवं गतिविधियां 36

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश 36

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) 37

एफआईपी का तीसरा चरण 37

वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ के विषय पर समिति 38

वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) 38

5000 से अधिक आबादी वाले गांव,जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, में बैंकों की शाखाएं खोलने की योजना तैयार करना 38

सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए ऋण-प्रवाह को संगत बनाना 39

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास संबंधी ढांचा 39

एमएसएमई क्षेत्र को वित्त देने हेतु बैंकिंग स्टाफ-सदस्यों की क्षमता -निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन 39

वित्तीय साक्षरता की पहल 39

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के कार्य 39

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की सथापना के लिए प्रायोगिक परियोजना 39

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित तकनीकी समूह 40

किओस्क परियोजना 40

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण का समावेश 40

भावी दिशा 40

वित्तीय साक्षरता स्तर में सुधार लाना 40

बीसी मॉडल को बढ़ावा देना 40

ऋण सलाहकारों का प्रमाणन 41

पृष्ठ सं.

चार्ट की सूची

2.1	चुनिंदा बैंकिंग एग्रिगेट्स में वृद्धि की प्रवृत्ति	6
2.2	बैंक-समूह वार अग्रिमों में वृद्धि	6
2.3	एससीबी की कासा जमाराशियों में वृद्धि	6
2.4	बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति (31 मार्च 2016 की स्थिति)	7
2.5	एससीबी की चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की परिपक्वता का स्वरूप	7
2.6	एससीबी की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता के स्वरूप में प्रवृत्ति	7
2.7	एससीबी की तुलनपत्रेतर देयताओं में वृद्धि	7
2.8	आय और व्यय की चुनिंदा मदों में वृद्धि	8
2.9	एससीबी का वित्तीय निष्पादन	8
2.10	बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा	9
2.11	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति	10
2.12	खुदरा ऋणों की संरचना (मार्च, 2016 के अंत में)	10
2.13	खुदरा ऋणों में वृद्धि	11
2.14	संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि	11
2.15	आरआरबी का वित्तीय निष्पादन	12
2.16	एलएबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन	12
2.17	बैंक समूह-वार प्रमुख शिकायत के प्रकारों का ब्योरा (2015-16)	13
2.18	जनसंख्या समूह-वार प्राप्त शिकायतों का विभाजन	13
2.19	एटीएम की संख्या में वृद्धि	13
2.20	एटीएम का भौगोलिक विस्तार	14
2.21	ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा	14
2.22	डेबिट और क्रेडिट कार्ड में प्रवृत्ति	14
2.23	बैंक-समूहों का क्रेडिट/ डेबिट कार्ड में हिस्सा	15
2.24	प्री-पेड लिखतों की प्रगति (मूल्य)	15
3.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थानों की संरचना (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)	16
3.2	शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या और आस्तियों में वृद्धि	16
3.3	शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक	17
3.4	शहरी सहकारी बैंकों के आय एवं व्यय - घटबढ़ प्रतिशत में	17
3.5	शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां	17
3.6	आस्तियों, अनर्जक आस्तियों एवं प्रावधानों में वृद्धि	17

		पृष्ठ सं.
3.7	जमाराशि एवं अग्रिमों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण	18
3.8	ए श्रेणी की रेटिंग वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा (संख्या एवं कारोबार के आकार के अनुसार)	18
3.9	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एसएलआर निवेश की वृद्धि दर में परिवर्तन	19
3.10	कुल आस्तियों में अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा	19
3.11	शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता संकेतक (प्रकार के अनुसार)	20
3.12	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में चुनिंदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण का वितरण	20
3.13	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त कमजोर तबकों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	20
3.14	राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के चुनिंदा संकेतक	21
3.15	प्राथमिक कृषि ऋण समिति के बकाया ऋण में वृद्धि	23
3.16	सदस्यता एवं सदस्यों की तुलना में उधारकर्ता अनुपात में हिस्सा	23
3.17	लाभ एवं हानि में प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्रतिशत (अखिल भारतीय)	23
3.18	लाभ एवं हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत - क्षेत्रीय स्तर (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)	24
3.19	पीसीएआरडीबी की कुल देयताओं और आस्तियों में प्रतिशत घट-बढ़ की तुलना में संघटकों का प्रतिशत योगदान	24
4.1	एआईएफआई की आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ	27
4.2	एआईएफआई की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (मार्च अंत की स्थिति)	28
4.3	एआईएफआई के निवल एनपीए/निवल ऋण (मार्च की स्थिति)	28
4.4	एनबीएफसी और बैंकों के एनपीए (सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में सकल एनपीए) (मार्च अंत की स्थिति)	29
4.5	एनबीएफसी-डी की समग्र सार्वजनिक जमाराशियां	30
4.6	एनबीएफसी-डी का वित्तीय निष्पादन	31
4.7	एनबीएफसी-डी के सकल और निवल एनपीए	31
4.8	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का एनपीए अनुपात	32
4.9	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय निष्पादन	32
4.10	एकल पीडी का वित्तीय निष्पादन	33
4.11	एकल पीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्ति स्थिति	33

सारणियों की सूची

2.1	एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ एवं इक्विटी पर प्रतिलाभ (बैंक समूह-वार)	8
2.2	एससीबी विभिन्न चैनलों के जरिए वसूले गए एनपीए	9
2.3	पीएसबी विभिन्न चैनलों के जरिए वसूले गए एनपीए	9
2.4	एआरसी की संख्या और बैंकों से अर्जित आस्तियां	10

पृष्ठ सं.

3.1 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की रूपरेखा (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार) 21

3.2 ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (अल्पावधि) 22

3.3 ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (दीर्घावधि) 25

4.1 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां 26

4.2 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन 27

4.3 एनबीएफसी के स्वामित्व का स्वरूप (कंपनियों की संख्या) 29

4.4 एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन-पत्र (मार्च अंत की स्थिति) 30

4.5 एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र (मार्च अंत की स्थिति) 31

5.1 वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति- सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार 41

एससीबी के तुलन-पत्रों के साथ-साथ आय और व्यय के विस्तृत आंकड़े
'भारत में बैंकों से संबद्ध सांख्यिकीय सारणी 2015-16' (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एए	खाता समूहक
एडीएफ	सकार विकास निधि
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनियां
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एक्यूआर	आस्ति गुणवत्ता समीक्षा
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
बीसी	बिज़नेस /व्यवसाय प्रतिनिधि
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति
बीओ	बैंकिंग लोकपाल
बीएसबीडीए	साधारण बचत बैंक जमा खाता
सीएबी	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
कैमल्स	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि प्रणाली एवं नियंत्रण
कासा	चालू खाता और बचत खाता
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सी-डी रेशियो	ऋण-जमा अनुपात
सीईओबीई	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
सीईआरएसएआई	भारतीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएफआर	केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री
सीकेवाईसीआर	अपने ग्राहक को जानिए संबंधी केंद्रीय रजिस्ट्री
सीएमबी	नकदी प्रबंधन बिल
सीएमपीएफआई	वित्तीय समावेशन मध्यावधि पथ के विषय पर समिति
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों के संबंध में केंद्रीय सूचना कोष
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआरटीएस	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीटीएएस	आस्थगित कर आस्तियां
ईसीबीज	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफबी	विदेशी बैंक
एफसीटीआर	विदेशी मुद्रा अंतरण भंडार
एफआईपी	विदेशी समावेशन योजना
एफएल	वित्तीय साक्षरता
एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफपीओ	अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
जीसीसी	साधारण क्रेडिट कार्ड
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
आईएफटीएएस	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध सेवाएं
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएमसीएबीएस	एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों में क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय मिशन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-आईएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-बुनियादी सुविधा वित्त कंपनी

एनबीएफसी-	जमाराशि न स्वीकार करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण
एनडी-एसआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीएफई	वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनपीएज	अनर्जक आस्तियां
एनएसएफआई	वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय रणनीति
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
ओटीसी	दो पक्षों के बीच एक्सचेंजरहित व्यापार
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीपीआई	प्रीपेड भुगतान लिखत
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक
पीएसएलसी	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
क्यूआईपी	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन

आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एस4ए	दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसएफबी	लघु वित बैंक
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएमए	विशेष उल्लेख वाले खाते
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
स्विफ्ट	विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूडीएवाई	उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
डब्ल्यूएलएएस	व्हाइट लेबल एटीएम

अध्याय I

परिदृश्य और नीतिगत परिवेश

परिचय

1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए वित्तीय स्थिरता की चिंताएं बढ़ गई थीं जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस प्रकार के सरोकार में कमी आ गई थी। अधिकांश उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन पर अत्यधिक घरेलू असंतुलन का प्रभाव पड़ा है जो आर्थिक मंदी एवं ऋण वृद्धि में धीमेपन के कारण था, साथ ही कारपोरेट तथा वित्तीय क्षेत्र में दबाव बढ़ा हुआ था जो बदलते बाहरी वित्तीय हालात के प्रति संवेदनशील बन गए थे।

1.2 उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं के समूह में, लगातार दो वर्ष तक खराब मानसून के बावजूद भारत में आर्थिक संवृद्धि ऊंची बनी रही। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र दबाव की स्थिति में था, जिसका मुख्य कारण अनर्जक आस्तियों का बना हुआ बोझ था, जो वर्ष के दौरान बड़ी तेजी से बढ़ गया था।

1.3 एनपीए की चिंताओं को दूर करने केलिए विवेकपूर्ण विनियामकीय उपाय करने के अलावा वर्तमान पर्यवेक्षीय प्रक्रिया को सहारा प्रदान हेतु 2015-16 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की गई थी। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से यह पता चला कि अनर्जक आस्तियों से हुए नुकसान एवं वास्तविक स्थिति के बारे में जो रिपोर्टिंग के स्तर हैं उनमें अत्यधिक अनियमितताएं हैं, जिसके कारण बैंकों द्वारा प्रावधान किए जाने की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से, जिसका मकसद यद्यपि मध्यावधि से दीर्घावधि तक एनपीए की पहचान करना एवं उसके लिए प्रावधान करने को देखना है, नतीजा यह निकला कि अल्पकाल में एक्यूआर से बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। अत:, बैंकों के वार्षिक लेखों से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान लगातार एवं बहुत ही गंभीर रूप से खराब हुआ है।

1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल तुलनपत्र से ज्ञात होता है कि 2015-16 में संवृद्धि एक-अंक में थी। ऋण की वृद्धि में जबरदस्त गिरावट थी। लाभ बढ़ने की स्थिति घट गई थी, जिसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़ी तेजी से प्रावधान करना रहा था। लाभ के गिरते स्तर को देखते हुए आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों कम होते जा रहे थे। लेकिन, इन विपरीत घटनाओं के बावजूद सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति में वर्ष के दौरान सुधार हुआ है क्योंकि सरकार ने पूंजी प्रदान की थी तथा पुर्नमूल्यांकन रिज़र्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफसीटीआर) तथा आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) को शामिल करने के तरीके में किए गए संशोधन की वजह से था। यह उम्मीद की जाती है कि इन परिवर्तनों से भारत में पूंजी पर्याप्तता के ढांचे को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) के दिशानिर्देशों के काफी हद तक अनुरूप बनाया जा सकेगा।

1.5 इस वर्ष अनेक विनियामकीय, पर्यवेक्षीय और विकासात्मक उपाय किए गए जिनका उद्देश्य अल्प एवं मध्यावधि सरोकारों का समाधान करना था, साथ ही वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की गलत-बिक्री (मिससेलिंग) तथा सायबर सुरक्षा के बारे में उपाय किए गए जिसका दीर्घकालिक विज़न यह था कि एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी, समावेशी एवं ग्राहक-दोस्त जैसा बैंकिंग क्षेत्र विकसित किया जाए।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए किए गए प्रमुख नीतिगत उपाय*

I. दबावग्रस्तता से निपटने के लिए प्रणाली की क्षमता में सुधार हेतु उपाय

विनियामकीय सुदृढ़ीकरण

1.6 दबावग्रस्त आस्तियों को पुन: बहाल करने लिए बनाई गई संरचना के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान बड़े खातों की गहनतम वित्तीय पुर्नरचना के लिए 13 जून, 2016 को दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना हेतु योजना प्रारंभ की थी। इस पहल के माध्यम से, बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को और अधिक

* 6 दिसंबर 2016 तक किए गए प्रासंगिक नीतिगत उपायों को शामिल किया गया है।

कारगर बनाया गया ताकि मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण बेहतर हो सके और एक गतिमान दबावग्रस्त आस्ति बाज़ार का सृजन किया जा सके। इसके अलावा, सूक्ष्य, लघु और मझोले उद्यमों द्वारा उनके दबावग्रस्त ऋणों के समाधान/पुनर्रचना के संबंध में उठाई जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से इस क्षेत्र में दबावग्रस्त ऋणों को बहाल करने के लिए एक अलग ढांचा 17 मार्च, 2016[1] को जारी किया गया था।

1.7 मौजूदा जोखिम-आधारित पूंजी मानकों के अनुपूरक के रूप में तथा संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित रखने के उपायों को सहारा प्रदान करने के लिए, बृहत् एक्सपोजर संरचना का प्रारूप 01 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था ताकि बैंक के एक्सपोजर को एक प्रतिपक्षी तक या उस प्रतिपक्षी से जुड़े समूह तक सीमित रखा जा सके। साथ ही समग्र बैंकिंग प्रणाली में संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करने के लिए 25 अगस्त 2016 को एक अनुपूरक संरचना भी जारी की गई थी ताकि बड़े उधारकर्ताओं को उन्हें पैसों की जरूरत के लिए केवल बैंकों पर निर्भर न रहना पड़े।

1.8 चलनिधि जोखिम प्रबंधन के उपायों के रूप में 28 मई 2015 को निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया था जो लंबे समय में बैंकों की निधि प्रदान करने की समुत्थानशाक्ति की माप करेगा। यह बैंकों की अल्पकालिक थोक निधीयन पर निर्भरता को कम करेगा तथा निधीयन स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। रिज़र्व बैंक ने ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन में प्रतिपक्षी ऋण जोखिम तथा केंद्रीय प्रतिपक्षी के एक्सपोजर के संबंध में 22 जून 2016 को प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया था।

1.9 बासेल III पूंजी विनियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने में सहायता प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व सीमा को युक्तिपरक बना दिया गया है। नैसर्गिक (वैयक्तिक) तथा विधिक व्यक्तियों (संस्थाएं/संस्थान) के लिए स्वामित्व सीमा अलग निर्धारित की गई है, और विधिक व्यक्तियों की परिभाषा के भीतर अच्छी एवं विविधीकृत वित्तीय संस्थाओं के लिए उच्च सीमा निर्धारित की गई है। जहां नैसर्गिक व्यक्तियों एवं गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए शेयरधारिता के अनुपात की उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है, वहीं गैर-विनियमित अथवा गैर-विविधीकृत और गैर-सूचीबद्ध वित्तीय संस्थाओं के लिए उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। सूचीबद्ध/अति बृहत् संस्था/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए उच्चतम सीमा 40 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है।

II. पर्यवेक्षीय उपाय

1.10 वर्ष 2015-16 में सभी बैंकों में आस्ति की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की गई थी। इस समीक्षा में आफसाइट आंकड़ों तथा अन्य डम्प आंकड़ों का समेकित तरीके से गहन प्रयोग किया गया था तथा इन ऋण आस्तियों की गुणवत्ता की तुलना लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों से की गई। समीक्षा से जो स्थिति उभर कर सामने आई उसे बैंकों को सूचित किया गया और यह सिफारिश की गई कि वे अपनी बहियों में ऋण की खराबी को उपयुक्त रूप से समायोजित कर लें।

1.11 प्रभावी ऑफसाइट पर्यवेक्षण के लिए बढ़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना रिपाजिटरी (सीआरआईएलसी) बहुत ही महत्वपूर्ण डाटाबेस सिद्ध हुई है। बाह्य रेटिंग और उद्योग के संबंध में रिपोर्टिंग के तरीकों को बदलते हुए सीआरआईएलसी डाटा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आस्तियों के एनपीए में बदल जाने तथा विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) की तारीखों को डेटाबेस में अंकित किया गया है ताकि इन दबावग्रस्त खातों की आयु का पता लगाया जा सके।

1.12 जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का दायरा; जो पर्यवेक्षीय सरोकारों को समय पर पहचानने में मदद करता है तथा उनको दूर करने में सहायता करता है; और भी विस्तरित किया गया है ताकि वर्ष 2016-17 के पर्यवेक्षीय

[1] सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, ने 29 मई 2015 के अपने राजपत्र अधिसूचना में ' सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास के लिए संरचना' को अधिसूचित किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संरचना को संशोधित करने में सहायता की है ताकि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों को उसके अनुरूप बनाया जा सके।

चक्र के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को इसमें शामिल किया जा सके। वर्ष 2015-16 के पर्यवेक्षीय चक्र के दौरान मुख्य मॉडल में निहित संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए उसी का अन्य प्रकार का एक छोटा सा आरबीएस मॉडल कुछ/विशेष स्वरूप का कार्य करने वाले छोटे बैंकों की शाखा के लिए विकसित किया गया है।

1.13 आईटी एवं सायबर सुरक्षा से उत्पन्न पर्यवेक्षीय चिंताओं को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान प्रमुख बैंकों का आईटी परीक्षण किया गया। इसके अलावा, नमूना आधार पर कुछ बैंकों के स्विफ्ट ईकोसिस्टम की जांच की गई। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सायबर सुरक्षा नीति के माध्यम से सायबर चुनौतियों के समाधान के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण विकसित करें।

1.14 बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ी से निपटने के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) को 21 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है जो वेब आधारित है जिसमें धोखाधड़ी के मामलों को तलाश किया जा सकता है और जिसमें पिछले 13 वर्ष के आंकड़े मौजूद हैं। इससे धोखाधड़ी की समय पर पहचान करने और उसे दूर करने में मदद मिलेगी तथा यह बैंकों के लिए एक ऐसे उपाय के रूप में कार्य करेगा कि बैंक कारोबार करते समय निर्णय लेने में इन धोखाधड़ियों से अवगत रहेंगे। रिज़र्व बैंक के आग्रह पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में बड़े मूल्य की बैंकिंग धोखाधड़ी के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है ताकि जांच करने वाली एजेंसियों के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में अधिक समन्वय एवं तालमेल बनाए रखा जा सके।

III. वित्त की उपलब्धता बढ़ाने और उसके विस्तार संबंधी उपाय

1.15 वर्ष 2015-16 के दौरान दो प्रमुख प्रगति हुई है जो आगामी वर्षों में वित्तीय परिदृश्य को नया आकार प्रदान करेंगी और वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहेंगी। इस दिशा में पहली प्रगति यह हुई है कि निजी क्षेत्र में 19 अगस्त 2015 को 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए तथा और 16 सितंबर 2015 को 10 आवेदकों को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार, दो संस्थाओं जिनके नाम इस प्रकार हैं- द कैपिटल लघु वित्त लिमिटेड और इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने लघु वित्त बैंक के रूप में जबकि एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड ने प्रथम भुगतान बैंक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। दूसरी प्रगति यह है कि 01 अगस्त 2016 को निजी क्षेत्र में 'आन टैप-आवश्यकता आधार' पर यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंसीकरण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के चर्चापत्र 'भारत में बैंकिंग संरचना: आगे की दिशा' का अनुसरण करते हुए प्राधिकृत करते रहने की सतत प्रक्रिया से मौजूदा बैंकों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बना रहेगा, और संबंधित बैंक की प्रस्तावित कारोबार योजना में वित्तीय समावेशन हिस्सा बना रहेगा जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत गतिविधियों एवं उसमें हुई प्रगति की और अधिक जानकारी इस रिपोर्ट के अध्याय V में दी गई है।

1.16 वित्तीय सेवाओं की खुदरा डिलेवरी में प्रौद्योगिकी का सहारा लेना भारत के वित्तीय परिदृश्य में खेल का रुख बदलने वाला सिद्ध हुआ है। यह किफायती है और वित्त की सुविधा को आखिरी छोर तक पहुंचा सकती है, इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन में मदद कर रही है। कार्ड-आधारित फुटकर भुगतान को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक स्वीकार्यता विकास निधि (एडीएफ) तैयार की जा रही है ताकि कार्ड की स्वीकार्यता की बुनियादी सुविधा और अधिक बढ़ सके। इसके अलावा, मोबाइल बैंकिंग को तीव्रता प्रदान करने के लिए 25 अगस्त 2016 को यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का प्रारंभ किया गया है जिससे यह उम्मीद की जाती है कि फुटकर भुगतान में यह क्रांति ला देगा क्योंकि देश में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की संख्या बहुत अधिक है।

1.17 मुख्य धारा की बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के अलावा, हाल के वर्षों में अनेक वैकल्पिक गैर-वित्तीय संस्थाओं ने प्रवेश किया है जो वित्तिय सेवाएं दे रही हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फिनटेक के नाम से जाना जाता है। इन वैकल्पिक संस्थाओं के प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र में स्पर्धा बढ़ जाने की उम्मीद है। लेकिन, इससे ऐसी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जो दीर्घकाल में प्रणालीगत चिंताओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2016 को एक अंतर-विनियामकीय कार्य दल का गठन किया है जो फिनटेक संबंधी नवोन्मेष एवं उससे संबंधित जोखिमों एवं अवसरों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा।

1.18 भारत में वित्तीय साक्षरता एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय समावेशन के लिए मांग पक्ष को समर्थन प्रदान करती है। इस प्रकार, सभी हितधारकों द्वारा आज की तारीख तक अनेक पहल की गई हैं कि सर्वसाधारण में वित्त के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए (ब्योरे अध्याय V में दिए गए हैं)।

1.19 वित्त और वित्तीय साक्षरता को विस्तार देने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ग्राहकों के अधिकारों, खासतौर से छोटे ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूक है। इसलिए रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकार चार्टर तैयार किया है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसी प्रकार से ग्राहक अधिकार नीति तैयार करें जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। इसके अलावा, बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओ) की वर्ष के दौरान समीक्षा की गई और साथ ही बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को युक्तिपरक बनाया गया/उन्हें विस्तार दिया गया। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो नीतियां सूचित की गई हैं, उसके अनुसार रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों को तीसरे पक्ष को गलत-बिक्री किए जाने के मुद्दे के संबंध में फील्ड स्तर पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार, रिज़र्व बैंक के नाम पर छल से धन अंतरण करने के बारे में जागरूकता पैदा की गई, पैन-इंडियन जागरूकता अभियान भी चलाया गया था।

1.20 26 नवंबर 2015 को भारत में प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को केंद्रीय केवायसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है जो ग्राहकों के केवायसी अभिलेख डिजिटल रूप में प्राप्त करेगा, भंडारित करेगा और अभिलेख निकालकर देगा। इससे समस्त वित्तीय उत्पादों के लिए मात्र एक केवायसी होगा और इस प्रकार यह वित्तीय सुविधाओं के लिए अत्यधिक सुविधाजनक रहेगा। सीकेवायसीआर ने 15 जुलाई, 2016 से सक्रिय रूप से (लाइव-रन) कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

IV. अन्य उपाय

1.21 बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने स्टाफ को प्रमाणपत्र देने के लिए उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की पहचान करें। हरित वित्त के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की भारत में बेंचमार्किंग के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2016 में एक कार्यदल का गठन किया गया था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 (पिछले वर्ष की तुलना करते हुए) से भारतीय लेखांकन मानक का प्रयोग करें जिसे कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। मौद्रिक नीति के प्रसारण को बढ़ाने एवं ऋणों पर ब्याज दरों के निर्धारण की पद्धति में पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से बैंकों को अधिदेश दिया गया था कि वे निधि की सीमांत लागत के आधार पर आधार-दरों का आकलन करें।

सहकारी एवं गैर-बैंकिंग खंडों में विनियामकीय एवं पर्यवेक्षीय उपाय

1.22 हाल के वर्षों में सहकारी एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय खंडों में रेगुलेशन का सामान्य सिद्धांत यह रहा है कि बैंकों एवं इन खंडों के बीच विनियामकीय अंतरपणन (आरबिटरेज) को न्यूनतम किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसरण में एनबीएफसी के रेगुलेटरी संचालन को और भी आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए जैसे दबावग्रस्त आस्तियों को पुन: बहाल करने के ढांचे के लिए रेगुलेशन, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा परियोजना ऋणों के पुन: वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक उपाय।

1.23 लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का बने रहना एक विनियामकीय सरोकार था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पुन: बहाली की योजना के कार्यान्वयन से लाइसेसरहित डीसीसीबी की संख्या जून 2013 की समाप्ति पर 23 से घटकर सितंबर 2016 तक मात्र तीन रह गई है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए भावी दिशा

1.24 सुदृढ़, स्पर्धी, समावेशी एवं ग्राहक-मैत्री बैंकिंग क्षेत्र के विकास के दीर्घकालीन विज़न को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक सतत रूप से विनियामकीय एवं पर्यवेक्षीय सुधार तथा नये क्षेत्रों की संभावनाओं की तलाश जारी रखेगा। नये प्रकार के अलग-अलग कार्य करने वाले बैंकों के सृजन की संभावनाओं जैसे कस्टोडियन एवं थोक वित्तीय बैंक के सृजन की संभावना का पता लगाया जाएगा। बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल जो रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन प्रयास

का प्रमुख अंग था, उसे उन्नत बनाया जाएगा और उसे दूर-दराज़ क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा, उसके लिए उनका पंजीकरण किया जाएगा, प्रमाणन होगा तथा इन संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 'भारत में भुगतान और निपटान - विज़न 2018', के अनुसरण में भुगतान संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा ताकि पांच सी अर्थात् कवरेज (विस्तार), कनवीनियंस (सुविधाजनक), कानफिडेंस (भरोसा), कनवर्जेंस (अभिसारण) तथा कॉस्ट (लागत) संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग खंड में ग्राहक सेवा संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु रिज़र्व बैंक एनबीएफसी के लिए उपयुक्त लोकपाल योजना तैयार करने के मुद्दे पर विचार करेगा।

अध्याय II

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन और कार्य-निष्पादन

समेकित परिचालन[1]

2.1 वर्ष 2015-16 में बैंकिंग क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र में धीमी गति से वृद्धि जारी रही जिसकी आस्ति/देयताएं 2014-15 के 9.7 प्रतिशत की तुलना में 7.7 प्रतिशत रहीं (चार्ट 2.1)। बैंकों, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बकाया ऋणों के भारी एवं बढ़ते अनुपात और इस कारण से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए किए गए प्रावधान में बढ़ोतरी से ऋण की वृद्धि पर बोझ बना रहा, जो बैंकों की कमजोर जोखिम-वहन क्षमता एवं दबावग्रस्त आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि गत वर्ष के 7.4 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 2.1 प्रतिशत रह गई (चार्ट 2.2)। देयताओं को देखें तो पता चलता है कि जमाराशि की वृद्धि में कमी आनुपातिक थी।

चालू और बचत खाता जमाराशियां

2.2 वर्ष 2015-16 के दौरान, एससीबी की कम लागत वाली चालू और बचत खाता (कासा) जमाराशियों में गत वर्ष की अपेक्षा सीमांत रूप से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। पीएसबी की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी), दोनों, की कासा जमाराशियों में अधिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 2.3)।

चार्ट 2.1: चुनिंदा बैंकिंग एग्रिगेट्स में वृद्धि की प्रवृत्ति

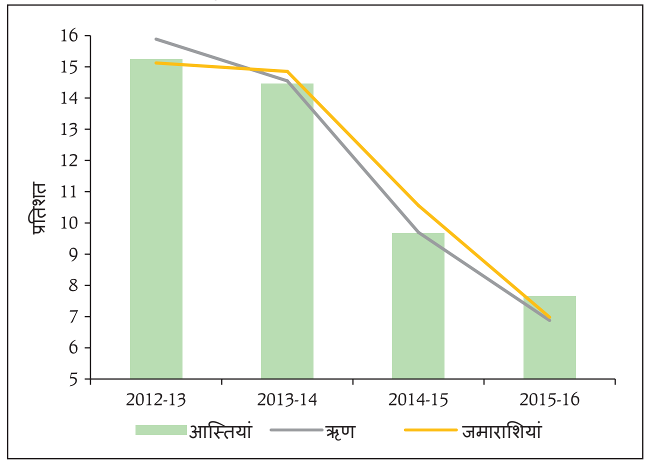

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे और डीबीआईई, आरबीआई।

चार्ट 2.2: बैंक-समूह वार अग्रिमों में वृद्धि

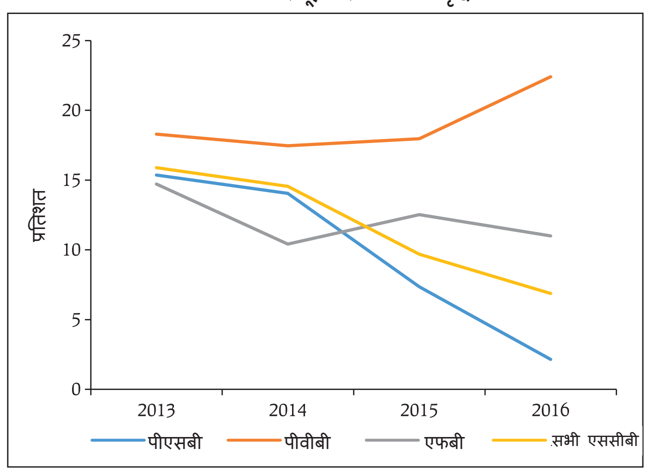

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट 2.3: एससीबी की कासा जमाराशियों में वृद्धि

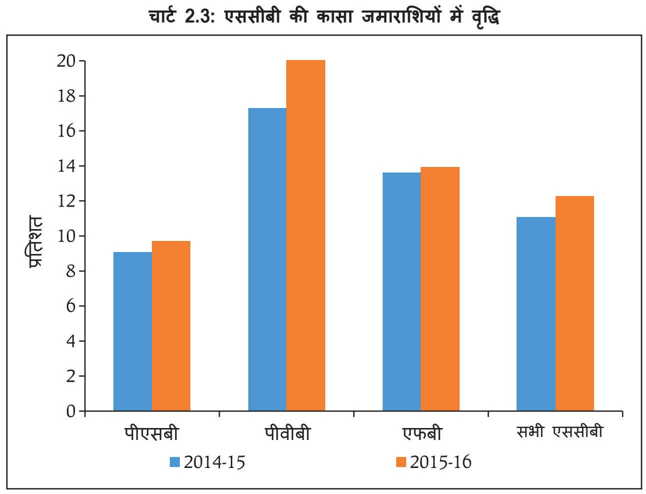

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

[1] सीमापार के परिचालनों सहित।

चार्ट 2.4: बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति (31 मार्च 2016 की स्थिति)

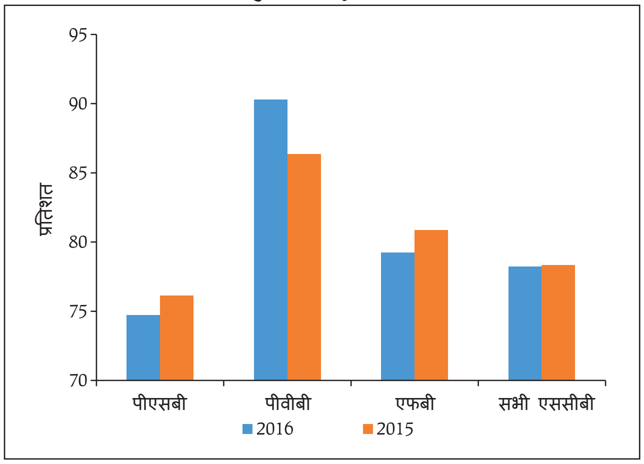

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट 2.5: एससीबी की चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की परिपक्वता का स्वरूप

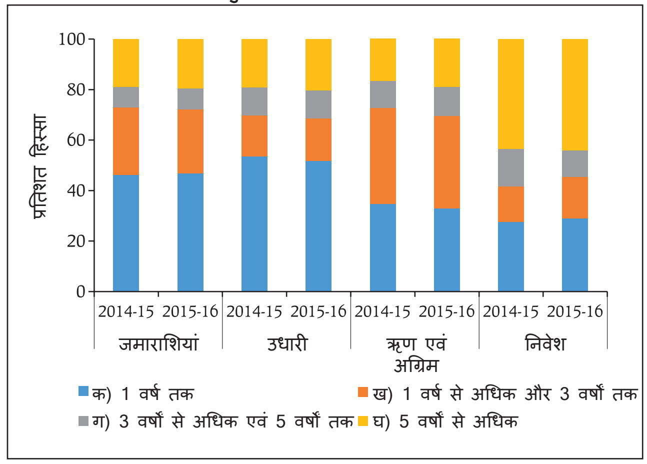

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट 2.6: एससीबी की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता के स्वरूप में प्रवृत्ति

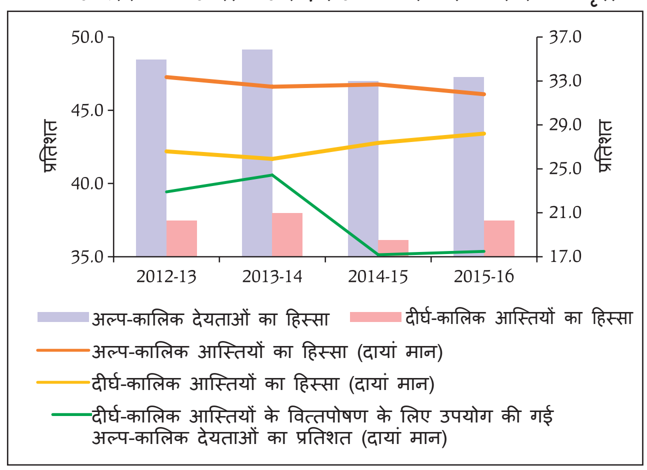

टिप्पणी: 1. एक वर्ष तक अल्प-कालिक और 3 वर्षों से अधिक दीर्घ-कालिक।
2. आस्तियों में ऋण और अग्रिम एवं निवेश आते हैं। देयताओं में जमाराशियां और उधार आते हैं।
3. दीर्घ-कालिक आस्तियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई अल्प-कालिक देयताओं के प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाती है, (दीर्घ-कालिक देयताओं में से दीर्घ-कालिक आस्तियों को घटाकर)/अल्प-कालिक देयताओं x 100.

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

ऋण-जमा अनुपात

2.3 बैंकिंग प्रणाली का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात लगभग 78 प्रतिशत रहा, जो पीवीबी के मामले में मार्च 2016 के अंत में 90.3 प्रतिशत पर उल्लेखनीय रूप से अधिक था (चार्ट 2.4)।

देयताओं और आस्तियों की परिपक्वता का स्वरूप

2.4 मार्च 2016 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल जमा राशियों और उधार राशियों का लगभग आधा हिस्सा अल्पकालिक स्वरूप का था (चार्ट 2.5)। दीर्घकालिक आस्तियों का वित्तपोषण अल्पकालिक देयताओं के जरिए किया गया जो 2015-16 के दौरान बढ़ा (चार्ट 2.6)।

तुलनपत्रेतर परिचालन

2.5 वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंकों का तुलनपत्रेतर परिचालन संकुचित हुआ। वायदा विनिमय संविदा, जिसका 2015-16 में बैंकों की कुल तुलनपत्रेतर देयताओं में लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा था, में वर्ष के दौरान 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 2.7)। बैंकिंग क्षेत्र के कुल तुलनपत्रेतर परिचालनों में एफबी का हिस्सा अधिकतम अर्थात् 50.9 प्रतिशत रहा और उसके बाद पीएसबी (25.7 प्रतिशत) एवं पीवीबी (23.4 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।

चार्ट 2.7: एससीबी की तुलनपत्रेतर देयताओं में वृद्धि

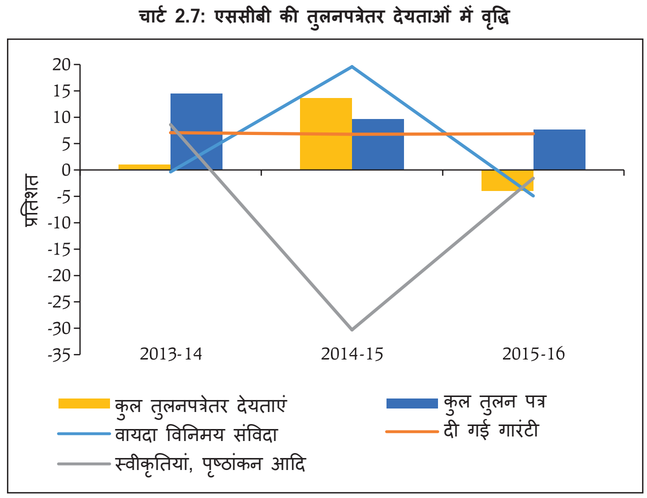

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

एससीबी का वित्तीय निष्पादन

2.6 वर्ष 2015-16 के दौरान, एससीबी की ब्याज आय के साथ-साथ गैर-ब्याज आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ब्याज आय से ऋण वृद्धि में जारी गिरावट के प्रभाव का पता चलता है। ब्याज व्यय में भी गिरावट देखी गई। फिर भी, निवल ब्याज आय में होने वाली वृद्धि गत वर्ष की तुलना में घटी। इसके अतिरिक्त, परिचालन व्यय में सुधार हुआ जिसका प्रमुख कारण वेतन बिल में अल्प वृद्धि का होना था। आस्ति गुणवत्ता में तेजी से कमी आने की वजह से प्रावधान और आकस्मिकताएं बढ़ीं। अनर्जक आस्तियों की बेहतर पहचान की वजह से एनपीए हेतु किए गए प्रावधान दो गुने से अधिक हो गए। इसकी वजह से पूरे बैंकिंग क्षेत्र के निवल लाभ में 60 प्रतिशत की गिरावट आई यद्यपि वह सकारात्मक दायरे में रहा (चार्ट 2.8)। बैंक-समूह वार देखें तो पता चलता है कि पीवीबी और एफबी ने निवल लाभ किया जबकि पीएसबी घाटे में रहा। पीएसबी को लगभग 180 बिलियन रुपए का घाटा हुआ जिसका निवल लाभ गत वर्ष की तुलना में 148 प्रतिशत घटा।

2.7 वर्ष के दौरान निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में और गिरावट आई जिसका कारण मानक आस्तियों के एनपीए हो जाने की वजह से ब्याज में हानि होना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आय में कमी तथा घटती दर वाले परिदृश्य में सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) को अपनाना था। कम लागत वाले धन से एनआईएम की कमी की भरपाई नहीं की जा सकती है। 2015-16 में स्प्रेड में मामूली वृद्धि हुई (चार्ट 2.9)।

2.8 वर्ष के दौरान, लाभप्रदता के प्रमुख संकेतकों, अर्थात् बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) एवं इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में गत वर्ष की तुलना में भारी गिरावट देखने को मिली, जो निवल लाभ में तेजी से आई कमी के प्रभाव को दर्शाता है। पीएसबी ने ऋणात्मक आरओए दर्शाया (सारणी 2.1)।

चार्ट 2.8: आय और व्यय की चुनिंदा मदों में वृद्धि

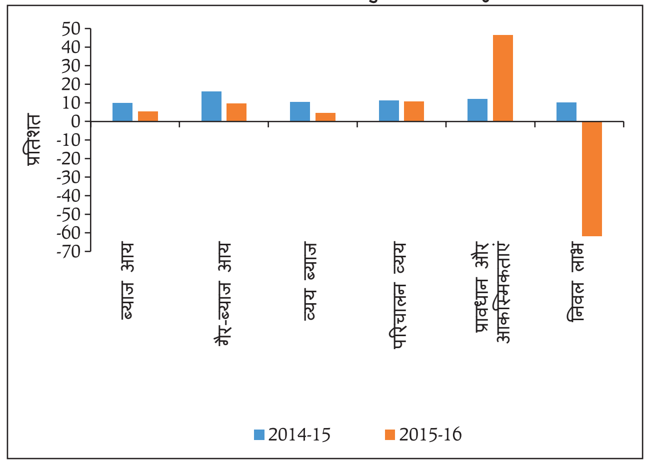

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट 2.9: एससीबी का वित्तीय निष्पादन

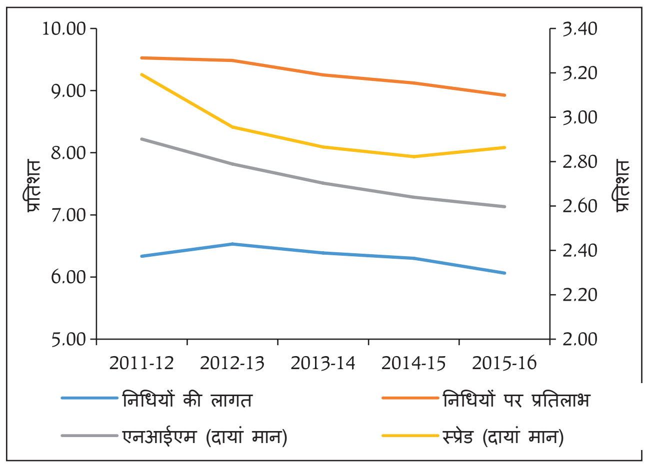

टिप्पणी: निधियों की लागत = (जमाओं पर प्रदत्त ब्याज + उधारी पर प्रदत्त ब्याज)/ (चालू और गत वर्ष की जमाओं + उधारियों का औसत)। निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों से अर्जित ब्याज + निवेश से अर्जित ब्याज)/ (चालू और गत वर्ष के अग्रिमों + निवेश का औसत)। निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय/ औसत कुल आस्तियां। स्प्रेड = प्रतिलाभ और निधियों की लागत के बीच का अंतर।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी 2.1: एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ एवं इक्विटी पर प्रतिलाभ (बैंक समूह-वार)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह	आस्तियों पर प्रतिलाभ		इक्विटी पर प्रतिलाभ	
		2014-15	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16**
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.46	-0.20	7.76	-3.47
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	0.37	-0.49	6.44	-8.52
	1.2 स्टेट बैंक समूह	0.66	0.42	10.56	6.78
2	निजी क्षेत्र के बैंक	1.68	1.50	15.74	13.81
3	विदेशी बैंक	1.84	1.45	10.24	8.00
4	**सभी एससीबी**	**0.81**	**0.31**	**10.42**	**3.59**

टिप्पणी: आस्तियों पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल आस्तियां। इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल इक्विटी।
* राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमि. एवं भारतीय महिला बैंक लिमि. शामिल हैं।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा

2.9 वर्ष 2015-16 के दौरान पीएसबी की आस्तियों और लाभ के हिस्से में गिरावट जारी रही जो आस्तियों में धीमी वृद्धि और भारी हानियों को दर्शाती है (चार्ट 2.10)।

एनपीए की वसूली

2.10 बैंक विभिन्न न्यायिक माध्यमों जैसे लोक अदालत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के जरिए समाधान करने एवं सरफेसी को लागू करने के जरिए अपनी अनर्जक आस्तियों को कम करने का भरसक प्रयास कर रहा है। फिर भी, 2015-16 के दौरान सभी एससीबी द्वारा पुनः प्राप्त (वसूली) की गई राशि गत वर्ष के 307.92 बिलियन रुपए की अपेक्षा घटकर 227.68 बिलियन रुपए रह गई (सारणी 2.2)। पीएसबी, जिस पर बैंकिंग क्षेत्र के एक बड़े अनुपात में एनपीए का बोझ है, द्वारा केवल 197.57 बिलियन रुपए ही पुनः प्राप्त किया जा सका जबकि गत वर्ष में 278.49 बिलियन रुपए की वसूली की गई (सारणी 2.3)। वसूली में गिरावट मुख्य रूप से सरफेसी चैनल के जरिए वसूली में आई कमी की वजह से थी जो 2014-15 के 256 बिलियन रुपए से 52 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 131.79 बिलियन रुपए रह गई। दूसरी तरफ, लोक अदालतों एवं डीआरटी के जरिए होने वाली वसूली में इजाफा हुआ।

चार्ट 2.10: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा

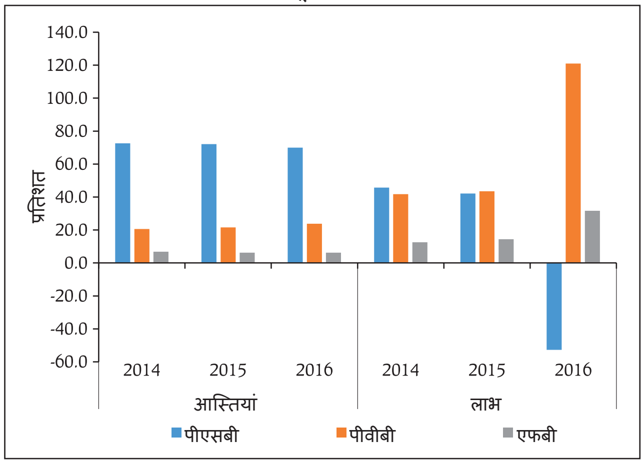

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी 2.2: एससीबी के विभिन्न चैनलों के जरिए वसूले गए एनपीए

(राशि बिलियन रुपए में)

	2014-15 (संशोधित)			2015-16		
वसूली के चैनल	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *
लोक अदालत	29,58,313	309.79	9.84	44,56,634	720.33	32.24
डीआरटी	22,004	603.71	42.08	24,537	693.41	63.65
सरफेसी	1,75,355	1,567.78	256.00	1,73,582	801.00	131.79
कुल	**31,55,672**	**2,481.28**	**307.92**	**46,54,753**	**2,214.74**	**227.68**

टिप्पणी: *दिए गए वर्ष के दौरान वसूली गई राशि की ओर संकेत करता है, जो दिए गए वर्ष के साथ-साथ पूर्व के वर्षों के दौरान इंगित मामलों के संदर्भ में हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 2.3: पीएसबी के विभिन्न चैनलों के जरिए वसूले गए एनपीए

(राशि बिलियन रुपए में)

	2014-15 (संशोधित)			2015-16		
वसूली के चैनल	रेफर किए गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *
लोक अदालत	25,96,351	270.20	9.31	42,44,800	690.17	31.34
डीआरटी	18,397	532.03	34.84	19,133	574.39	55.90
सरफेसी	1,66,804	1,463.06	234.34	1,59,147	650.08	110.33
कुल	**27,81,552**	**2,265.29**	**278.49**	**44,23,080**	**1,914.64**	**197.57**

टिप्पणी: * दिए गए वर्ष के दौरान वसूली गई राशि की ओर संकेत करता है, जो दिए गए वर्ष के साथ-साथ पूर्व के वर्षों के दौरान रेफर किए गए मामलों के संदर्भ में हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

2.11 बैंकों ने अपनी दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने के लिए उसे आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को भी बेचा। यह मार्च 2014 से बढ़ रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार हेतु बनाई गई रूपरेखा के अंतर्गत बैंकों को विनियामक सहयोग दिया गया था (सारणी 2.4)।

सारणी 2.4 : एआरसी की संख्या और बैंकों से अर्जित आस्तियां

(राशि बिलियन रुपए में)

मूल्य	दिसंबर 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016
कंपनी की संख्या	5	13	14	16
बैंकों से कुल अर्जित	**163.56**	**351.64**	**584.79**	**726.26**

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

2.12 कुल ऋण में देखे गए रुझान के विपरीत, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2015-16 के दौरान गत वर्ष के 9.3 प्रतिशत की तुलना में 16.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। आवास ऋणों हेतु प्रदत्त ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट 2.11)। एससीबी समग्र रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत का लक्ष्य (समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि का, जो भी अधिक हो) प्राप्त कर सकते हैं। मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार, बैंक-समूह वार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति इस प्रकार है : पीएसबी (39.3 प्रतिशत), पीवीबी (45.1 प्रतिशत) एवं एफबी (35.3 प्रतिशत)।

चार्ट 2.11: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति

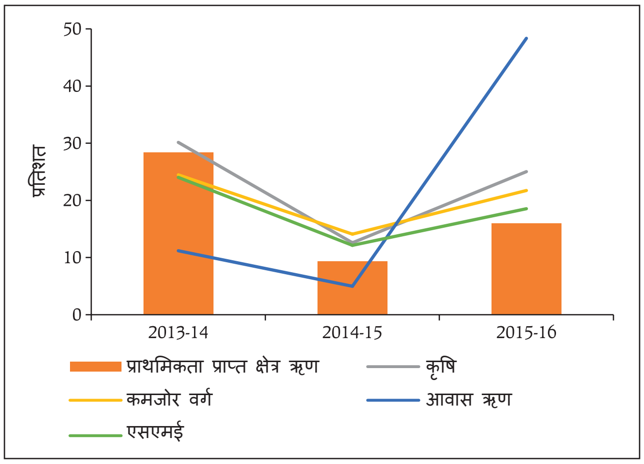

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

2.13 रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2016 में लागू की गई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) योजना के मुताबिक पीएसएल लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों को पूरा करने में कमी आने की दशा में बैंक द्वारा इन लिखतों को खरीदा जा सकेगा। इससे निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हासिल करने वाले बैंक अपनी अधिशेष उपलब्धि को बेचने की व्यवस्था करने के जरिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों को ज्यादा उधार प्रदान किया जा सकेगा। पीएसएलसी व्यवस्था में ऋण जोखिम या अंतर्निहित आस्तियों का स्थानांतरण नहीं होता।

खुदरा ऋण

2.14 बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में दो अंकों में वृद्धि पाई गई। बैंकों के कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में आवास ऋण का हिस्सा 54 प्रतिशत से भी अधिक है और उसमें 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 2.12)। व्यक्तिगत ऋण खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का दूसरा प्रमुख हिस्सा है और उसमें

चार्ट 2.12: खुदरा ऋणों की संरचना
(प्रतिशत में - मार्च, 2016 के अंत में)

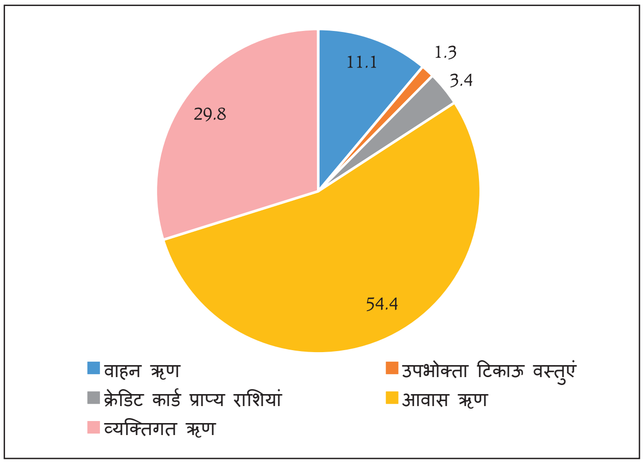

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.13: खुदरा ऋणों में वृद्धि

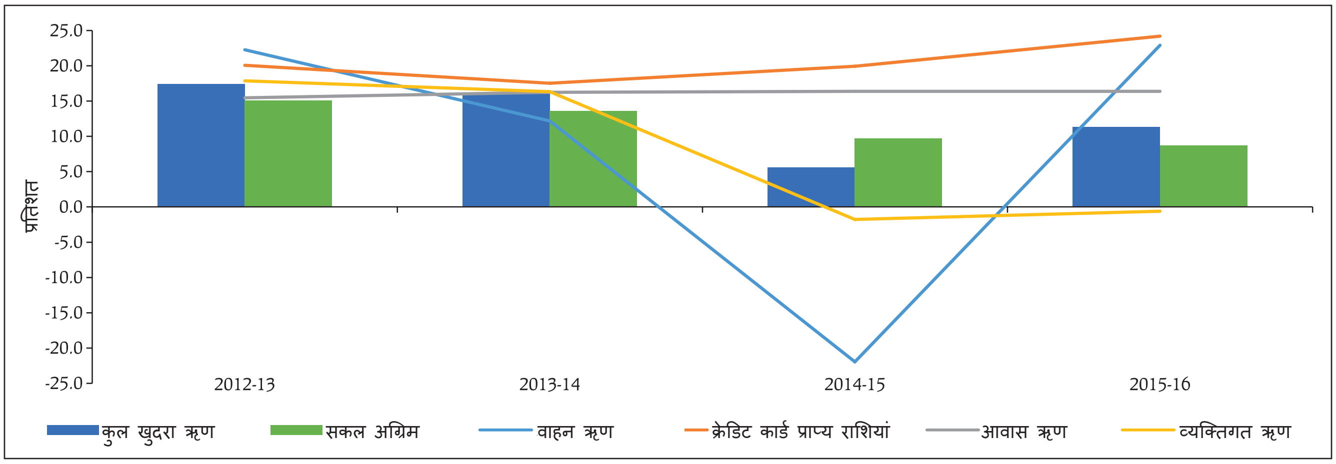

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

अन्य के साथ शिक्षा ऋण, सावधि जमाराशियों, शेयर एवं बांड के प्रति ऋणों में ऋणात्मक वृद्धि बनी रही। तुलना करें तो, वाहन ऋणों ने गत वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद बढ़िया वापसी की (चार्ट 2.13)।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

2.15 एससीबी के कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्रों, अर्थात् पूंजी बाजार एवं भू-संपदा बाजार को प्रदत्त ऋणों का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत था। बैंक-समूहों में, एफबी का इन क्षेत्रों में एक्सपोज़र सर्वाधिक अर्थात् 27.7 प्रतिशत था जिसके बाद पीवीबी (26.3 प्रतिशत) और पीएसबी (16.9 प्रतिशत) आते हैं। इन दो क्षेत्रों में भी, भू-संपदा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण 92.5 प्रतिशत था। 2015-16 के दौरान, दोनों क्षेत्रों को प्रदत्त ऋणों में गिरावट आई (चार्ट 2.14)।

चार्ट 2.14: संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि

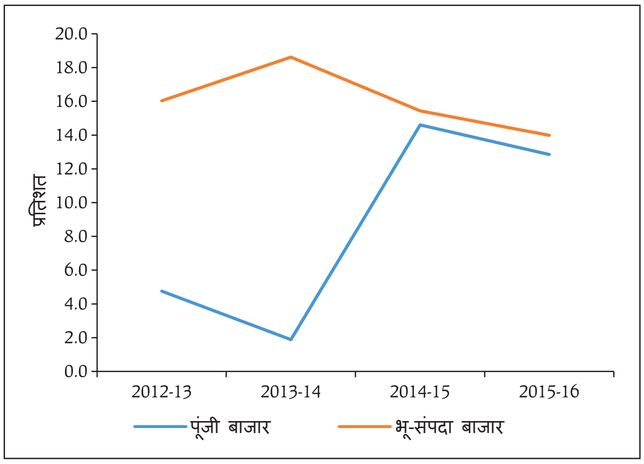

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

एससीबी के स्वामित्व का स्वरूप

2.16 भारत सरकार ने सभी पीएसबी में 51 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम शेयरधारिता से अधिक शेयरधारिता को बनाए रखा है। वर्ष के दौरान पीएसबी[2] में अधिकतम अनिवासी शेयरधारिता 11.9 प्रतिशत थी जबकि पीवीबी[3] के मामले में यह 72.7 प्रतिशत थी। फिर भी, सरकार ने पीएसबी को अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की है और इसके लिए सरकार ने पीएसबी की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं, उनके स्टॉक के निष्पादन, चलनिधि एवं बाजार परिस्थितियों के आधार पर अपनी शेयरधारिता को चरणबद्ध रूप से 52 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है और इस वजह से कुछ पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता में कमी आने की संभावना है।

[2] रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अधिकतम प्रतिशत 20 है।

[3] रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अधिकतम प्रतिशत 74 है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.17 मार्च 2016 के अंत में, देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) मौजूद थे जिनमें से 45 वहनीय आरआरबी थे, अर्थात् लाभ अर्जित करने वाले और जिनकी कोई संचित हानि न हो। वर्ष के दौरान, आरआरबी की आस्तियों/ देयताओं में 8.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम वृद्धि गत वर्ष के 22.9 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से घटकर 14.6 प्रतिशत रह गई, जबकि इस अवधि के दौरान निवेश 3.6 प्रतिशत बढ़ा जिसमें गत वर्ष में 10.0 प्रतिशत का इजाफा हुआ। देयता पक्ष में, जमाराशि वृद्धि गत वर्ष के 14.0 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गई, जबकि उधारी गत वर्ष के 28.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में घटकर 19.4 प्रतिशत रह गई।

2.18 वर्ष 2015-16 के दौरान, ब्याज आय और ब्याज व्यय दोनों में गत वर्ष की तुलना में कम वृद्धि पाई गई। ब्याज व्यय 14.6 प्रतिशत बढ़ा जबकि ब्याज आय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे एनआईएम में मामूली गिरावट आई। साथ ही, प्रावधान एवं देयताओं में 71.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से आस्ति गुणवत्ता में गिरावट की वजह से हुई। इन कारणों से आरआरबी का समग्र निवल लाभ गत वर्ष के 1.9 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा घटकर 26.5 प्रतिशत रह गया (चार्ट 2.15)।

स्थानीय क्षेत्र बैंक

2.19 मार्च 2016 के अंत में चार स्थानीय क्षेत्र बैंक मौजूद थे, फिर भी, यह संख्या घटकर तीन हो गई थी क्योंकि कैपिटल स्थानीय क्षेत्र बैंक 24 अप्रैल 2016 की तारीख से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हो गया था। 2015-16 के दौरान इन बैंकों की निवल ब्याज आय 13.3 प्रतिशत बढ़ी जिसकी बदौलत इन बैंकों की आस्तियों में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी, निवल लाभ में 4.0 प्रतिशत की गिरावट आई जिसकी वजह से आस्तियों पर प्रतिलाभ घटा (चार्ट 2.16)। कैपिटल स्थानीय क्षेत्र बैंक लिमिटेड की आस्तियों का सभी एलएबी की आस्तियों में 74 प्रतिशत हिस्सा होने की वजह से बैंक-समूह के रूप में एलएबी का महत्व और कम हुआ।

चार्ट 2.15: आरआरबी के वित्तीय निष्पादन

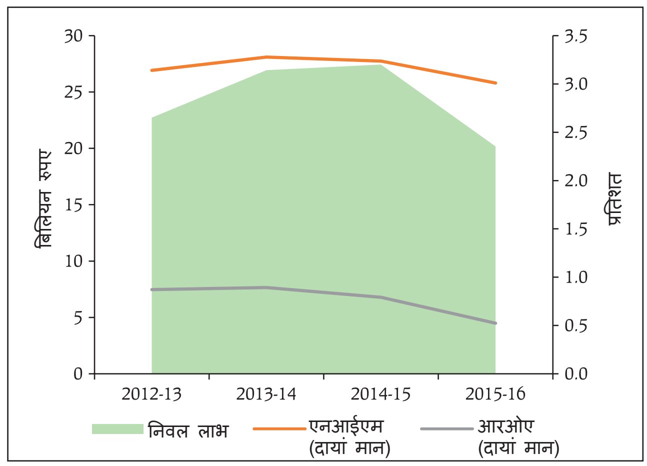

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट 2.16: एलएबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन

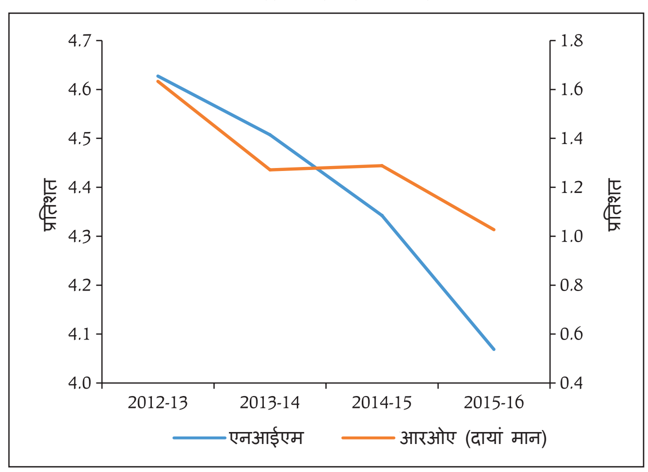

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.17 : बैंक समूह-वार प्रमुख शिकायत के प्रकारों का ब्योरा (2015-16)

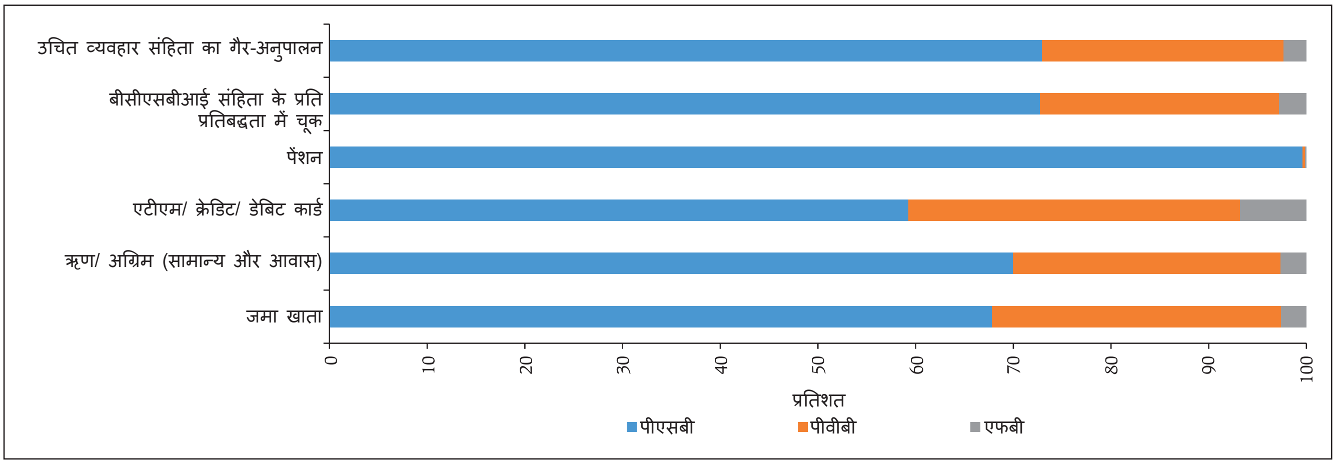

स्रोत: आरबीआई।

ग्राहक सेवा

2.20 वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंकिंग लोकपाल के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों को एससीबी के विरुद्ध 95,377 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि गत वर्ष यह संख्या 85,131 थी। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को पीएसबी के संबंध में प्राप्त शिकायतों का हिस्सा गत वर्ष के 70.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से घटकर 68.2 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान पीवीबी के संबंध में प्राप्त शिकायतों का हिस्सा बढ़ा (चार्ट 2.17)। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत जनसंख्या समूह-वार शहरी एवं महानगरीय केंद्रों को प्राप्त शिकायतों की संख्या (2015-16 में कुल शिकायतों का 73 प्रतिशत) सर्वाधिक थी (चार्ट 2.18)।

चार्ट 2.18: जनसंख्या समूह-वार प्राप्त शिकायतों का विभाजन

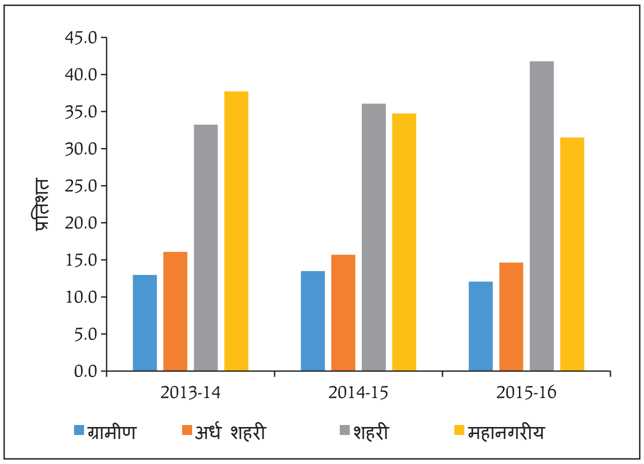

स्रोत: आरबीआई।

एटीएम की संख्या में वृद्धि

2.21 मार्च 2016 के अंत में इंस्टॉल किए गए एटीएम की संख्या बढ़कर 0.2 मिलियन हो जाने से एटीएम का भौगोलिक विस्तार और बढ़ा जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीएसबी का एटीएम की कुल संख्या में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा। तथापि, एफबी के एटीएम की संख्या में गिरावट जारी रही (चार्ट 2.19)।

चार्ट 2.19: एटीएम की संख्या में वृद्धि

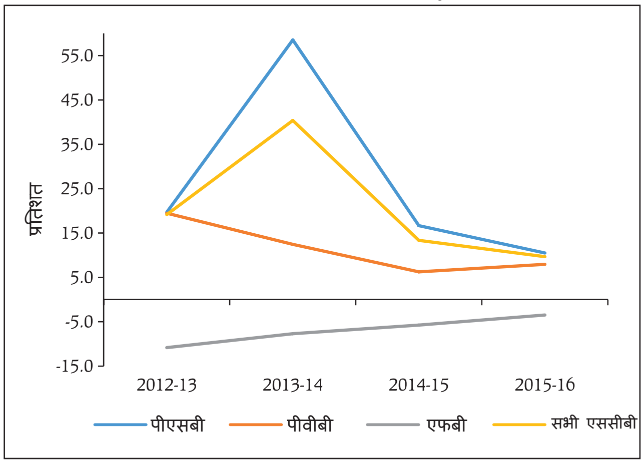

टिप्पणी : आंकड़े डब्ल्यूएलए रहित है।
स्रोत: आरबीआई।

एटीएम का विस्तार

2.22 स्थापित कुल एटीएम में महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों का हिस्सा 26.0 से 29.0 प्रतिशत के दायरे में रहने के कारण एटीएम के क्षेत्रीय विस्तार में अधिक संतुलन देखा गया। फिर भी, मार्च 2016 में महानगरीय

केंद्रों में एटीएम की हिस्सेदारी मामूली रूप से गिरकर 26.9 प्रतिशत रह गई जोकि गत वर्ष 27.7 प्रतिशत थी। अर्ध-शहरी एवं शहरी केंद्रों में एटीएम की हिस्सेदारी में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2.20)।

ऑफ-साइट एटीएम

2.23 पीवीबी और एफबी के 60 प्रतिशत से अधिक एटीएम ऑफ-साइट हैं जो बैंक शाखा के परिसर में न होकर एकल आधार पर स्थापित किए गए हैं। तथापि, पीएसबी के मामले में ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा 45 प्रतिशत से कम है। 2015-16 के दौरान, कुल एटीएम में ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा प्रत्येक बैंक-समूह में घटा (चार्ट 2.21)। यह देखते हुए कि रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनके सभी उत्पादों और सेवाओं को एटीएम चैनल के जरिए पेश करने की अनुमति प्रदान की है बावजूद इसके ऑफ-साइट एटीएम की हिस्सेदारी में गिरावट बेचैनी का विषय है।

व्हाइट लेबल एटीएम

2.24 वर्ष 2015-16 के दौरान, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए), जो गैर-बैंक संस्थाओं के स्वामित्व में है और उनके द्वारा परिचालित है, की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 12,962 हो गई जो गत वर्ष 7,881 थी। डब्ल्यूएलए के इंस्टॉलेशन में तेजी की वजह बैंकिंग जगत में नए खिलाड़ियों का आगमन माना जा सकता है जैसे पेमेंट्स बैंक एवं लघु वित्त बैंक जो लागत को कम करने के लिए स्वयं के एटीएम स्थापित किए बगैर डब्ल्यूएलए के परिचालकों के साथ गठबंधन कर रहे हैं।

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड

2.25 वर्ष 2015-16 में बकाया डेबिट कार्ड की संख्या में वृद्धि गत वर्ष के 40.3 प्रतिशत से तीव्र रूप में घटकर 19.6 प्रतिशत रह गई। 2014-15 के दौरान, डेबिट कार्ड वृद्धि में तेजी की वजह प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाता खोलने संबंधी वृद्धि में गिरावट आने की वजह से डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी वृद्धि में गिरावट आई। फिर भी, क्रेडिट कार्ड की वृद्धि वर्ष के दौरान बढ़कर 16.1 प्रतिशत हुई जबकि 2014-15 के दौरान यह 10.1 प्रतिशत थी (चार्ट 2.22)। बैंक-समूह

चार्ट 2.20: एटीएम का भौगोलिक विस्तार

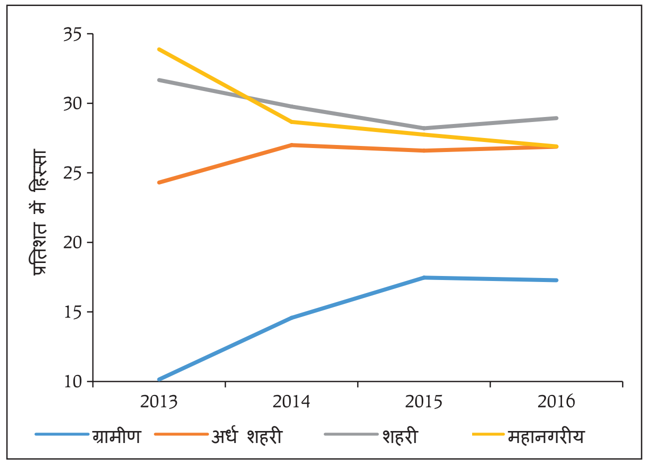

टिप्पणी : आंकड़े डब्ल्यूएलए रहित है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 2.21: ऑफ-साइट एटीएम की हिस्सेदारी

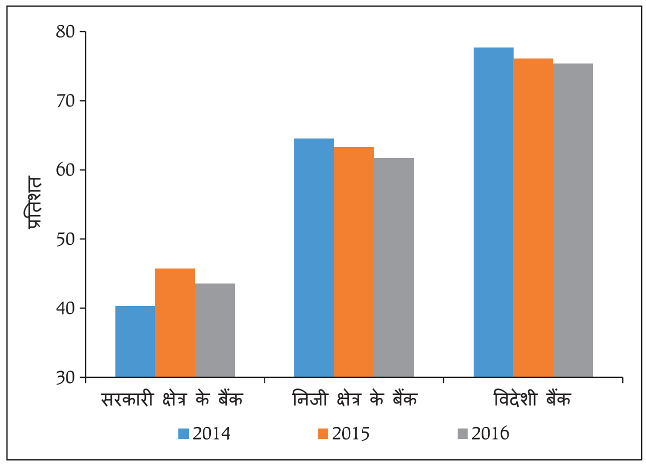

टिप्पणी : आंकड़े डब्ल्यूएलए रहित है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 2.22: डेबिट और क्रेडिट कार्ड में प्रवृत्ति

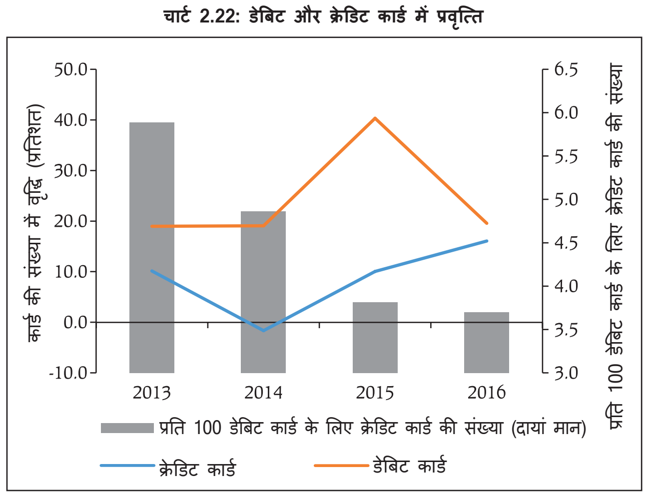

टिप्पणी : आंकड़े डब्ल्यूएलए रहित है।
स्रोत: आरबीआई।

वार, डेबिट कार्ड जारी करने के संबंध में पीएसबी ने 82.8 प्रतिशत हिस्से के साथ अत्यधिक बढ़त को बनाए रखा। दूसरी तरफ, पीवीबी क्रेडिट कार्ड जारी करने में 60.1 प्रतिशत के हिस्से के साथ मजबूत स्थिति में था (चार्ट 2.23)।

प्रीपेड भुगतान लिखत

2.26 वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ निधि अंतरण के लिए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाने की बदौलत इन लिखतों के जरिए किए गए लेनदेनों के मूल्य में हाल के वर्षों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई। प्रीपेड लिखतों में, पीपीआई कार्ड (जिसमें मोबाइल प्रीपेड लिखत, गिफ्ट कार्ड, सोशल बेनिफिट कार्ड, फॉरेन ट्रेवल कार्ड एवं कॉरपोरेट कार्ड शामिल हैं) अत्यधिक लेकप्रिय साधन रहा और उसके बाद मोबाइल-वॉलेट्स। 2015-16 के दौरान, पीपीआई कार्डों और मोबाइल-वॉलेट्स के जरिए किए गए लेनदेन का मूल्य उल्लेखनीय रूप से बढ़कर क्रमशः 254 बिलियन रुपए एवं 206 बिलियन रुपए हो गया जबकि गत वर्ष में यह 105 बिलियन रुपए एवं 82 बिलियन रुपए था (चार्ट 2.24)।

चार्ट 2.23: बैंक-समूहों का क्रेडिट/ डेबिट कार्ड में हिस्सा

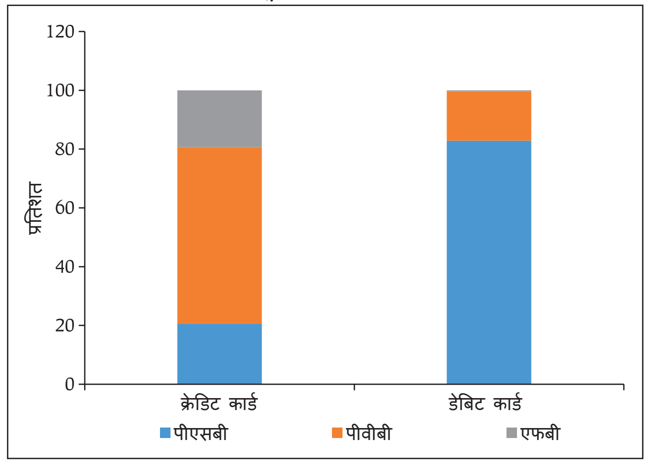

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 2.24: प्री-पेड लिखतों की प्रगति (मूल्य)

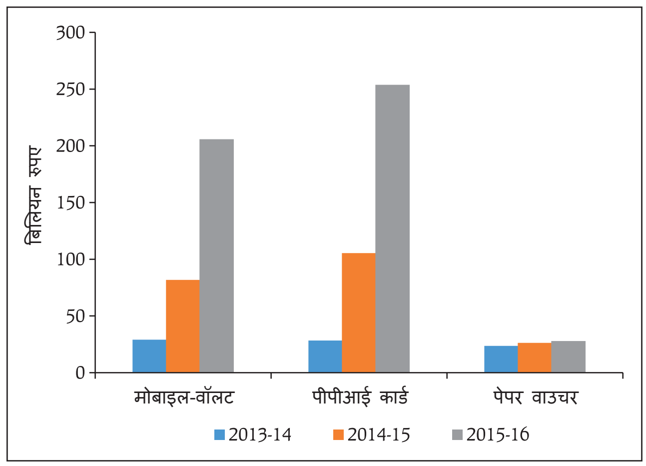

स्रोत: आरबीआई।

अध्याय III

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

परिचय

3.1 मार्च 2016 के अंत की स्थिति में, भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण संस्थानों सहित 1,574 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा 93,913 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान आते हैं (चार्ट 3.1)। 2015-16 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र की वृद्धि मंद हुई। उनके लाभप्रदता सूचकों एवं आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट देखी गई। 2014-15 के दौरान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को छोड़कर अल्पावधि ग्रामीण सहकारी समितियों के तुलन पत्र की वृद्धि में मंदी आई जबकि दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी समितियों के तुलन पत्र में तेजी देखी गई। इसके साथ ही, अधिकांश ग्रामीण सहकारी समितियों के निवल लाभ में कमी होने के बावजूद सभी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ।

शहरी सहकारी बैंक

3.2 2016 में, शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 1,574 रह गई जो 2015 में 1,579 थी। बहु-राज्यी शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 29 से बढ़कर 31 हो गई, किंतु गैर-अनुसूचित एकल-राज्यी शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1,507 से घटकर मार्च 2016 के अंत में 1,502 रह गई (चार्ट 3.1)।

तुलन-पत्र से आय-व्यय

3.3 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में मंदी जारी रही। 2014-15 की 11.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में घटकर यह 2015-16 में 9.9 प्रतिशत रह गई (चार्ट 3.2)। आस्ति पक्ष में, ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि 9.2 प्रतिशत की दर से हुई जो 2014-15 में हुई 11.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम रही। देयता पक्ष में, जमाराशियों एवं आरक्षित निधियों तथा अतिरेक राशि का उपचय अपेक्षाकृत निम्न दरों पर हुआ (क्रमश: 10.4 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत रहा जबकि 2014-15 में ये दरें क्रमश: 11.8 प्रतिशत एवं 7.4 प्रतिशत थीं।)

लाभप्रदता

3.4 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों के इक्विटी एवं आस्तियों पर प्रतिलाभ में कमी देखी गई। निवल ब्याज

चार्ट 3.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थानों की संरचना (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

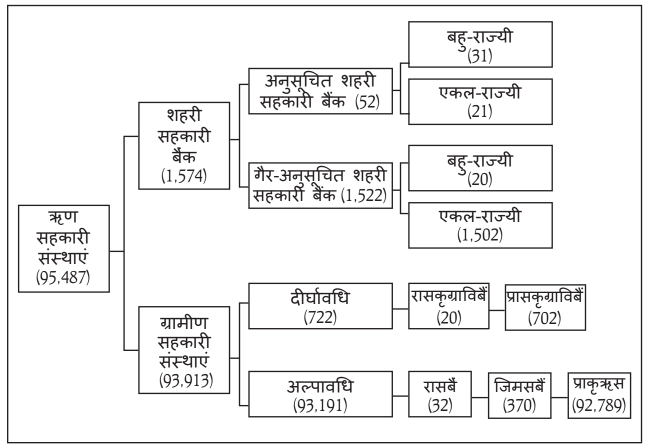

एसटीसीबीः राज्य सहकारी बैंकों; डीसीसीबीः जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों; पीएसीएसः प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां; एससीएआरडीबीः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े, शहरी सहकारी बैंकों के मामले में - मार्च 2016 के अंत में संस्थानों की संख्या और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के मामले में - मार्च 2015 के अंत में संस्थानों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं।

2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के मामले में, सहकारी संस्थाओं की संख्या रिपोर्ट करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट 3.2 : शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या और आस्तियों में वृद्धि

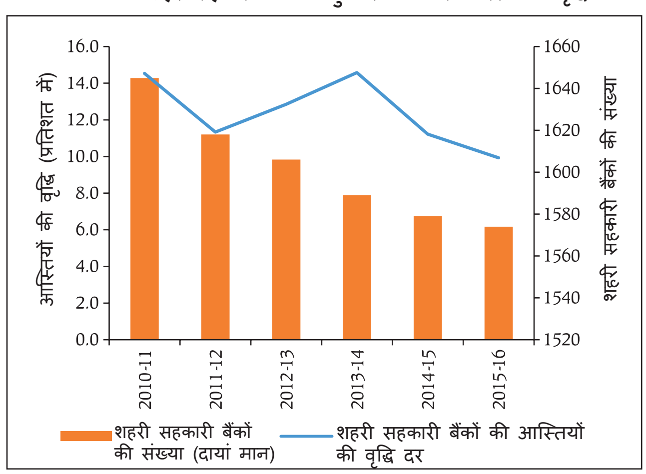

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं।

चार्ट 3.3 : शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक

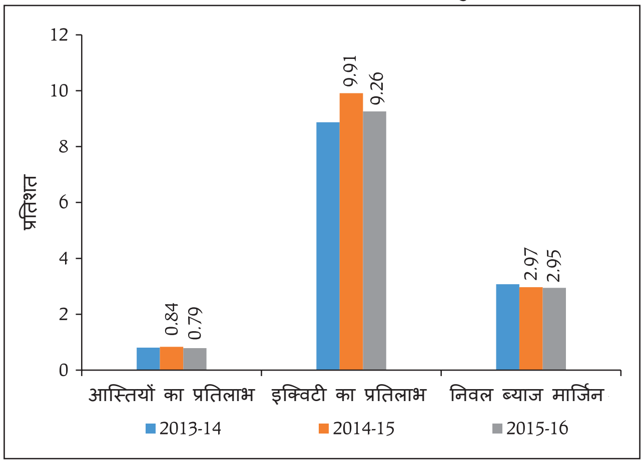

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.4 : शहरी सहकारी बैंकों के आय एवं व्यय - घटबढ़ प्रतिशत में

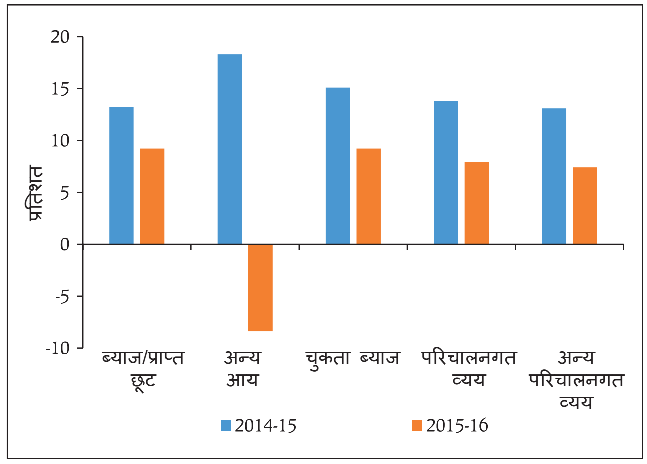

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

मार्जिन में कमी जारी रही (चार्ट 3.3)। 2014-15 के रुझान को जारी रखते हुए, उनके कुल व्यय (8.8 प्रतिशत) में उनकी कुल आय (7.9 प्रतिशत) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 2015-16 के दौरान जोखिमों/आकस्मिकताओं के किए गए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक रहे। शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में कमी आई। ब्याज से होने वाली आय में कमी जारी रही और 2015-16 में यह 9.2 प्रतिशत रही जबकि 2014-15 में यह 13.2 प्रतिशत थी। इनके अलावा, 2015-16 में अन्य आय में 8.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जबकि 2014-15 में इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (चार्ट 3.4)।

आस्ति गुणवत्ता

3.5 शहरी सहकारी बैंको की सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में आस्तियों की तुलना में अधिक दर से वृद्धि जारी रही। मार्च 2016 के अंत में, सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 6.6 प्रतिशत रहा जबकि मार्च 2015 के अंत में यह अनुपात 6.2 प्रतिशत था (चार्ट 3.5)। 2014-15 के दौरान प्रावधानों में सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप व्याप्ति अनुपात 2013-14 में रहे 63.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर 55.8 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट 2015-16 के दौरान प्रावधानों में हुई वृद्धि के अनुरूप रही। इसके कारण व्याप्ति अनुपात को 55.5 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रखा जा सका (चार्ट 3.6)।

चार्ट 3.5 : शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां

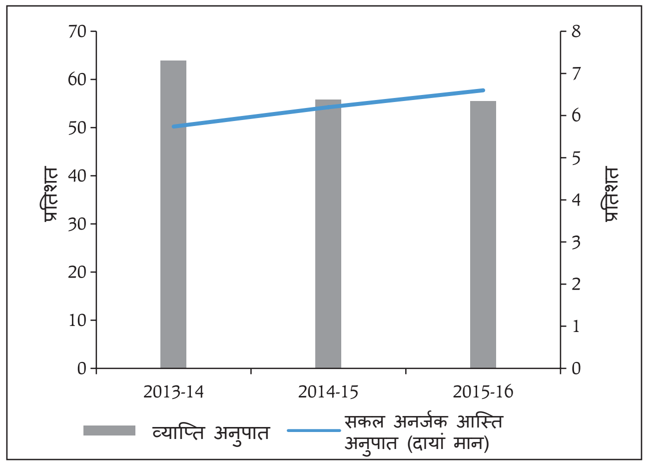

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.6 : आस्तियों, अनर्जक आस्तियों एवं प्रावधानों में वृद्धि

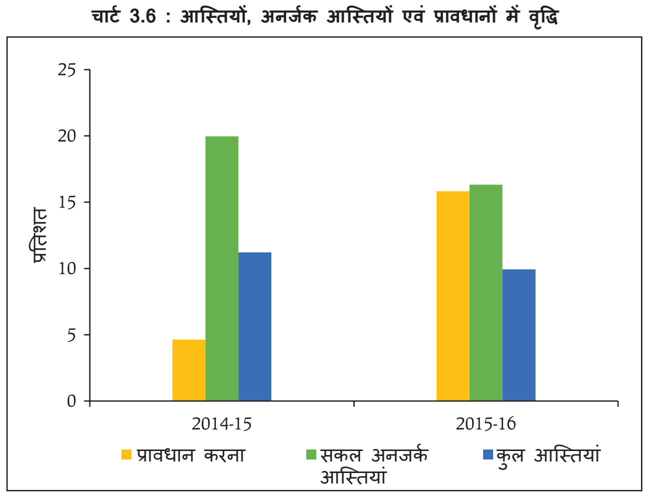

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.7 : जमाराशि एवं अग्रिमों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

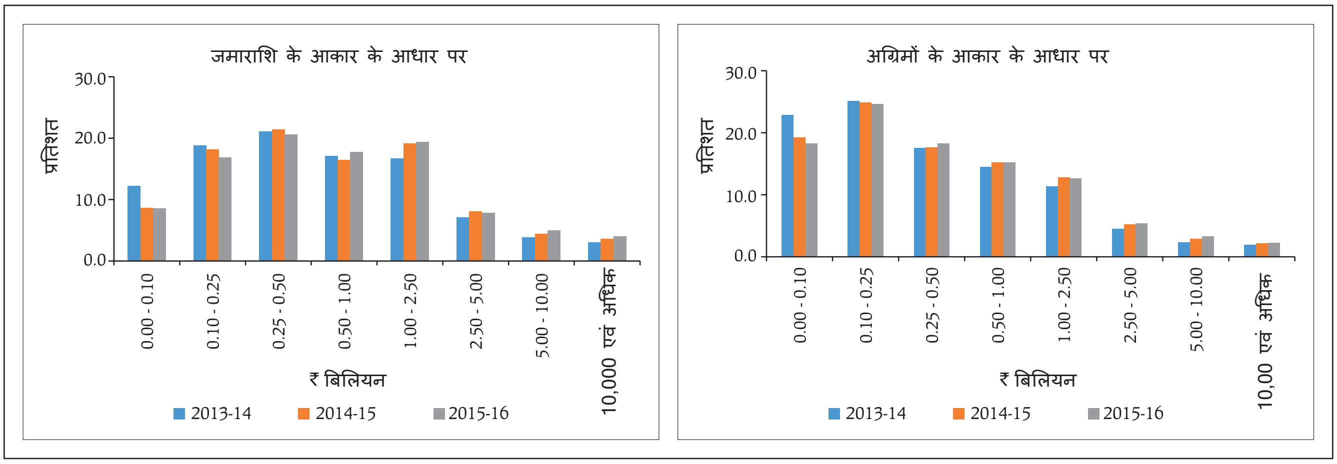

टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति
2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां

3.6 टियर II के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों[1] की संख्या में वृद्धि जारी रही (मार्च 2013 के अंत में 412 थी जो बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 442 हुई और उसके बाद मार्च 2015 में 447 हुई)। 2015-16 में, सामान्यत:, जिन शहरी सहकारी बैंकों के पास बड़ी मात्रा में जमा राशि और अग्रिम धारित थे, उनमें वृद्धि जारी रही (चार्ट 3.7)।

3.7 सीएएमईएलएस (कैमल्स) मॉडल के अंतर्गत उच्चतम श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों[2] का हिस्सा 2014-15 के 28.4 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2015-16 में 25.8 प्रतिशत रह गया। इस श्रेणी के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार के हिस्से में भी तेजी से गिरावट आई, जो अपेक्षाकृत बड़े शहरी सहकारी बैंकों में बढ़ते जोखिम को दर्शाता है (चार्ट 3.8)।

चार्ट 3.8 : ए श्रेणी की रेटिंग में शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा (संख्या एवं कारोबार के आकार के अनुसार)

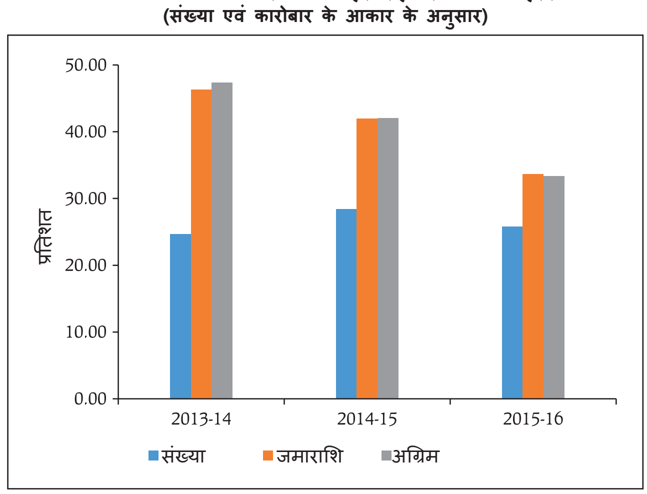

टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति
2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

[1] टिअर-I के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें -
- किसी एक जिले में परिचालनगत बैंक में जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो।
- एक से अधिक जिलों में परिचालनगत बैंक में जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो, बशर्ते बैंक की शाखाएं निकटवर्ती जिलों में कार्यरत रही हों, और एक जिले में स्थित शाखाओं की जमाराशियों और अग्रिमों का अलग से हिस्सा बैंक की क्रमश: कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95 प्रतिशत हो।
- जमाराशि का आधार ₹1 बिलियन से कम हो, जिन बैंकों की शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में स्थित रहीं हों किंतु बाद में जिला के पुनर्परिसीमन किए जाने के कारण वह बहु-जिला स्थित बैंक हो गया हो।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टिअर II के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।

3.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के रूझान के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि की तुलना में ऋण अनुपात में थोड़ी कमी आई। 2015-16 में यह अनुपात घटकर 62.5 प्रतिशत रह गया, जो 2014-15 में 63.2 प्रतिशत था। जमाराशि की तुलना में निवेश अनुपात 2015-16 में घटकर 30.8 प्रतिशत रह गया जो 2014-15 में 34.7 प्रतिशत था। 2015-16 में शहरी सहकारी बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया क्योंकि मध्यवर्ती/राज्य सहकारी बैंकों के पास धारित शेष राशि को एसएलआर निवेश के रूप में मान्यता दिया जाना 01 अप्रैल 2015 से बंद कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश' की वृद्धि दर में सुधार हुआ। 2015-16 में बढ़कर यह दर 13 प्रतिशत हो गई, जो 2014-15 में 7.3 प्रतिशत थी (चार्ट 3.9)। असमग्र स्तर पर देखा जाए तो गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर यह प्रभाव अधिक जोर का पड़ा क्योंकि ये बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में निवेश का अधिक हिस्सा मध्यवर्ती/राज्य सहकारी बैंकों में रखे हुए थे।

चार्ट 3.9 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एसएलआर निवेश की वृद्धि दर में परिवर्तन

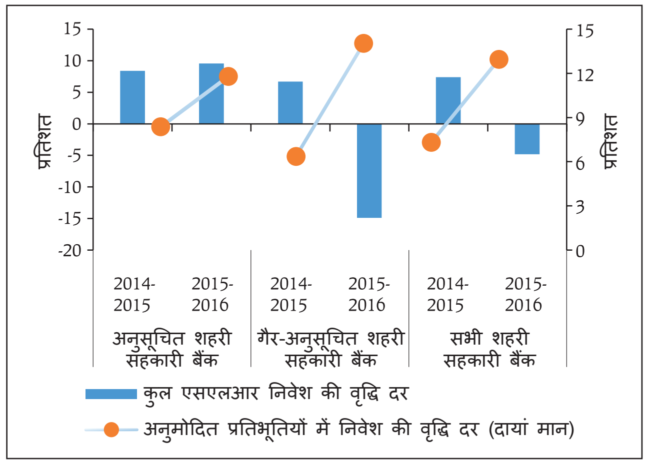

टिप्पणी : 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया जाना

3.9 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विकास एवं अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडीआरबीटी) से विचार-विमर्श करते हुए अप्रैल 2016 से, कोर बैंकिंग समाधान को लागू करने में संसाधनों की कमी का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों की मदद करने की योजना तैयार की है। यह योजना बैंकिंग विकास एवं अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान / भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) के माध्यम से लागू की जा रही है। जिन शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग सुविधा को अभी लागू नहीं किया है अथवा इसे आंशिक रूप से लागू किया है, उनको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना को शहरी सहकारी बैंकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित रूझान

3.10 मार्च 2016 के अंत में, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 52 थी (मार्च 2015 के अंत में 50 थी) 2015-16 में सभी शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों में इनके हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट 3.10)।

3.11 2015-16 में, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की तुलना पिछले वर्ष हुई वृद्धि से की जा सकती है। वर्ष के दौरान, शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के विस्तार में जमाराशि, ऋणों तथा अग्रिमों का प्रमुख हिस्से के रूप में योगदान जारी रहा।

चार्ट 3.10 : कुल आस्तियों में अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा

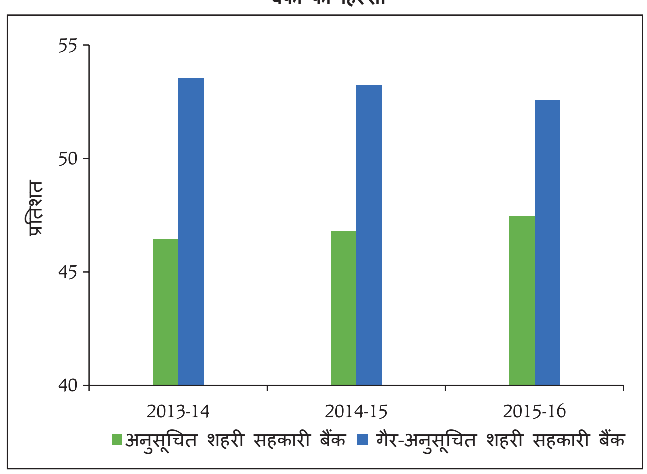

टिप्पणी: 1. 31 मार्च 2016 की स्थिति
2. 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

3.12 2015-16 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता सूचकों ने स्थिति बिगड़ने का संकेत दिया। इक्विटी के प्रतिलाभ एवं आस्तियों के प्रतिलाभ दोनों में गिरावट आई, जबकि निवल ब्याज मार्जिन में थोड़ी वृद्धि हुई (चार्ट 3.11)। गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के विपरीत व्यय में वृद्धि, आय वृद्धि से अधिक बनी रही। 2015-16 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ मार्जिन के स्तर में गिरावट आई।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

3.13 2015-16 में, लघु उद्यमियों एवं आवास क्षेत्र को दिए गए ऋण में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा (चार्ट 3.12)। कमजोर तबकों के प्रति लक्षित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के हिस्से में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। ऐसा विशेषरूप से 2014-15 एवं 2015-16 के बीच सूक्ष्म, लघु उद्यमों तथा आवास क्षेत्रों में हुआ (चार्ट 3.13)।

ग्रामीण सहकारी बैंक

3.14 2014-15 में, प्राथमिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों (अल्पावधि एवं दीर्घावधि -दोनों) की संख्या कम हुई, जिसके कारण ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या घटकर 93,913 रह गई जो 2013-14 में 94,718 थी। मार्च 2015 के अंत में, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कुल आस्तियों में अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं, जिसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती

चार्ट 3.11 : शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता संकेतक (प्रकार के अनुसार)

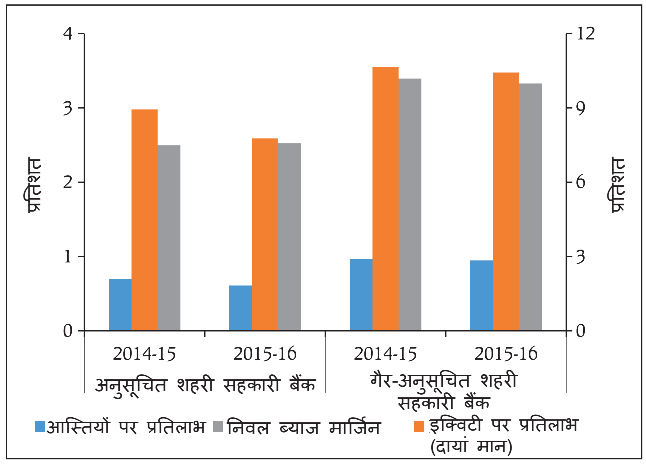

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.12 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में चुनिंदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण का वितरण

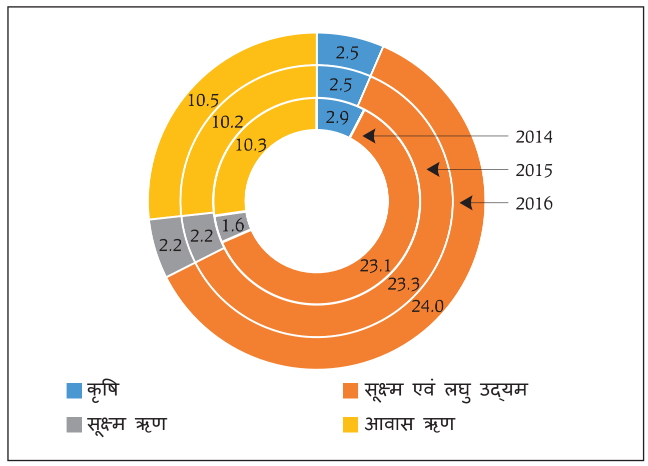

टिप्पणी: 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.13 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त कमजोर तबकों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत

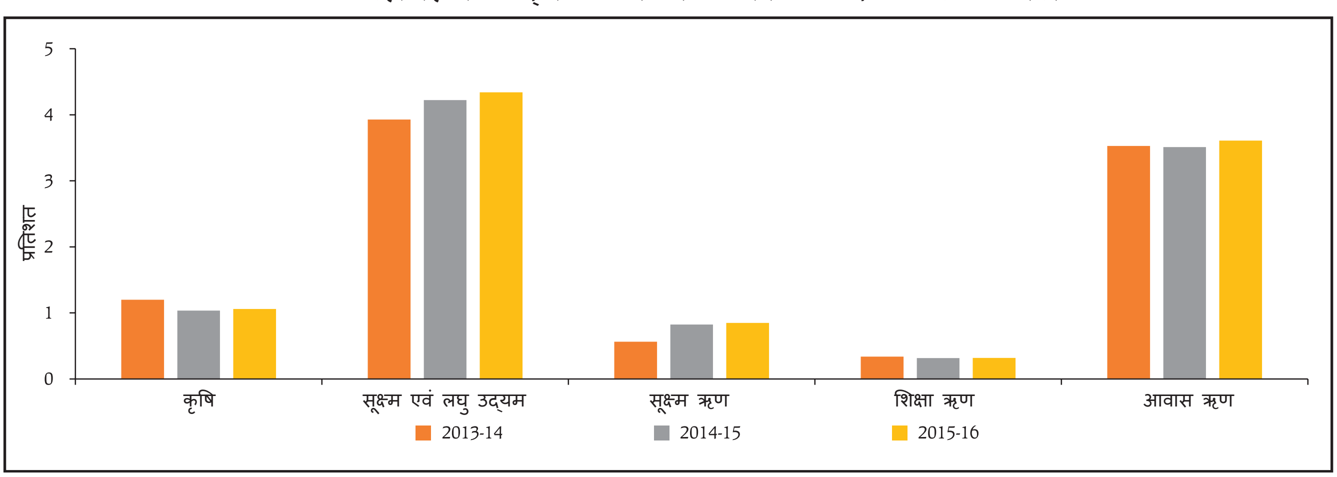

टिप्पणी : 2015-16 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियां और स्टॉफ की गणनाएं

सारणी 3.1 : ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की रूपरेखा (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

(₹ बिलियन)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी बैंकों की संख्या	**32**	**370**	**92789**	**20@**	**702**
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधि (पूंजी + आरक्षित निधि)	141.8	293.7	216.8	74.7	53.5
ii. जमाराशि	1028.1	2588.1	846.2	18.4	10.2
iii. उधारराशि	687.3	800.0	999.8	161.1	163.7
iv. ऋण एवं अग्रिम	1145.5	2194.0	1472.3*	211.9	148.1
v. कुल देयता/आस्तियां	1988.6	4076.9	2237.1+	332.9	306.8
इ. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान #					
क. संख्या	28	304	43653	9	319
ख. लाभ की राशि	11.1	18.3	28.3	1.1	1.8
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
क. संख्या	4	58	37440	4	381
ख. लाभ की राशि	0.3	10.5	43.8	5.0	5.6
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	10.8	7.8	(-)15.5	(-) 3.9	(-) 3.8
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	57.2	208	357.9++	64.4	53.6
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	5.0	9.5	24.3	30.3	36.2
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली अनुपात (प्रतिशत)	**94.9**	**77.3**	उन	**46.7**	**44.6**

टिप्पणी: @ इन संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार है - 9 लाभ में रहे, 4 (हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुच्चेरी एवं त्रिपुरा) हानि में रहे, 3 (असाम, बिहार, ओरिसा) ने कार्यशील नहीं हैं/निष्क्रिय है, एक (मणिपुर) समाप्त हो चुकी है, दो (मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र) परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन हैं, और छत्तीसगढ़ में एलटी संरचना को एसटी संरचना में मिला दिया गया है। # 362 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, * बकाया ऋण एवं अग्रिम, + कार्यशील पूंजी, ++ कुल बकाया राशि, उन = उपलब्ध नहीं
स्रोत : नाबार्ड एवं एनएएफएससीओबी

सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) आती हैं; का हिस्सा का लगभग 93 प्रतिशत रहा (सारणी 3.1)।

अल्पावधि ग्रामीण ऋण संस्थान - राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

3.15 राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र की वृद्धि में मंदी आई। 2013-14 में इनकी वृद्धि 13.1 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो 2014-15 में घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई (चार्ट 3.14)। ऐसा प्राथमिक रूप से जमा राशि की वृद्धि में मंदी होने, 'अन्य देयता' के हिस्से की वृद्धि में स्पष्टरूप से मंदी आने, नकदी एवं बैंक खाते में शेष राशि और आस्ति पक्ष में ऋणों एवं अग्रिमों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि होने के कारण हुआ।

3.16 राज्य सहकारी बैंकों की आय वृद्धि में मंदी आई। यह आय 2013-14 में 9.7 प्रतिशत थी जो 2014-15 में घटकर 5.6 प्रतिशत रह गई। मंदी का कारण ब्याज से होने वाली आय वृद्धि में मंदी होना रहा। 2014-15 में परिचालनात्मक खर्चों में तेजी से वृद्धि (9.3 प्रतिशत) होने के बावजूद व्यय वृद्धि में कमी आई। यह वृद्धि 2013-14 में 12.9 प्रतिशत थी जो 2014-15 में घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई। ऐसा, 2014-15 में व्यय के हिस्से के रूप में 'प्रावधानों तथा आकस्मिक

चार्ट 3.14 : राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के चुनिंदा संकेतक

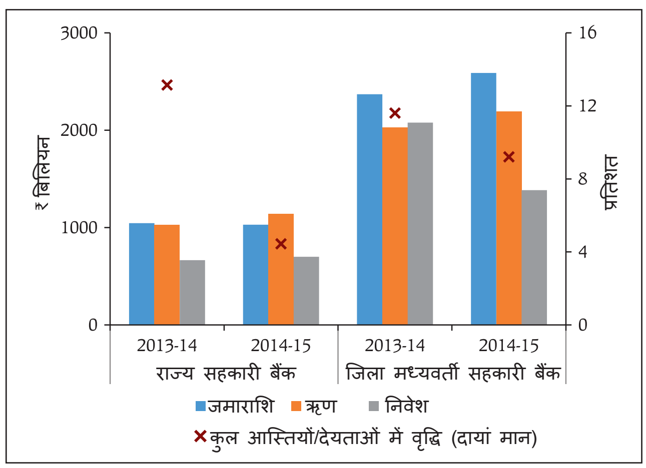

स्रोत: नाबार्ड

निधियों' के 19.9 प्रतिशत कम रहने (2013-14 में 42.6 प्रतिशत अधिक होने की तुलना में) के कारण हुआ। प्रावधानों एवं आकस्मिकता निधियों के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर होने से 2014-15 के दौरान निवल लाभ में 29.9 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 में इसमें 24.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

3.17 2014-15 में, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के तुलन पत्रों में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम थी (2012-13 में 13.3 प्रतिशत और 2013-14 में 11.6 प्रतिशत)। देयता पक्ष से अन्य देयताओं तथा जमाराशियों के योगदान में कमी आई जबकि आस्ति पक्ष से ऋणों एवं अग्रिमों की अपेक्षाकृत कम वृद्धि और निवेश में ऋणात्मक वृद्धि होने के कारण मंदी आई।

3.18 2014-15 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 49.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में 0.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ब्याज से होने वाले आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के कारण 2014-15 में आय में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दूसरी तरफ, व्यय के हिस्से के रूप में 'प्रावधानों एवं आकस्मिक निधियों' में तेजी से वृद्धि (2014-15 में 26.8 प्रतिशत बनाम 2013-14 में (-)22.4 प्रतिशत) होने के कारण व्यय बढ़कर 2014-15 में 12.2 प्रतिशत हो गया जो 2013-14 में 11.1 प्रतिशत हो गया।

3.19 राज्य सहकारी बैंकों ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की तुलना में वित्तीय निष्पादन की सभी दृष्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य सहकारी बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 2013-14 में 5.5 प्रतिशत था जो और घटकर 2014-15 में 5.0 प्रतिशत रह गया, जबकि उनका वसूली अनुपात 2013-14 के 82.5 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 94.9 प्रतिशत हो गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में थोड़ी कमी आई (2013-14 में 10.3 प्रतिशत जबकि 2014-15 में 9.5 प्रतिशत) किंतु उनका वसूली अनुपात 2013-14 के 78.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 77.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.2)।

3.20 2014-15 के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में स्थित राज्य सहकारी बैंक के लाभ में वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में हुई, जहां पर 2014-15 में लाभ में वृद्धि 2013-14 की तुलना में लगभग चार गुना रही। मध्यवर्ती क्षेत्रा को छोडकर सभी क्षेत्रों में स्थित राज्य सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट आई अथवा वे स्थिर बने रहे। सर्वाधिक गिरावट (2.6 प्रतिशतता बिंदु) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देखी गई। मांग के प्रतिशत के रूप में वसूली से मिलेजुले रुझान का पता चला, जिसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में बदलाव देखा गया जहां पर मांग की तुलना में वसूली अनुपात 2013-14 के 58 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़कर 2014-15 में 94.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उस क्षेत्र के रुझान के स्तर से अधिक रही (लगभग 90 प्रतिशत)।

सारणी 3.2 : ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (अल्पावधि)

(₹ बिलियन)

मद	राज्य सहकारी बैंक				जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक			
	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़		मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	57.0	57.2	1.2	0.4	209.0	208.0	15.8	-0.5
i. अवमानक	20.7	20.8	0.3	0.5	100.2	93.2	27.3	-7.0
	(36.2)	(36.3)			(47.9)	(44.8)		
ii. संदिग्ध	26.1	24.7	31.2	-5.4	86.9	91.1	14.0	4.8
	(45.9)	(43.2)			(41.6)	(43.8)		
iii. नुकसान	10.2	11.7	-35.4	15.0	21.9	23.7	-14.4	8.3
	(17.9)	(20.5)			(10.5)	(11.4)		
आ. ऋण की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	5.5	5.0			10.3	9.5		
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%) (विगत वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार)	82.5	94.9			78.3	77.3		

टिप्पणियां : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं । अ : अनंतिम
स्रोत : नाबार्ड

3.21 जिला स्तर पर, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर, वृद्धि हुई। मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हुई वृद्धि मामूली ही रही। 2014-15 में, दक्षिणी क्षेत्र के साथ ही मध्यवर्ती क्षेत्र में भी मांग की तुलना में वसूली अनुपात में गिरावट आई। दक्षिणी क्षेत्र में वसूली में गिरावट का रुझान जारी रहा (2012-13 में 90.9 प्रतिशत, 2013-14 में 81.3 प्रतिशत एवं 2014-15 में 75.9 प्रतिशत)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियां

3.22 बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए जाने में काफी प्रगति हुई है। नवंबर 2014 में, केंद्र सरकार द्वारा घोषित पुनरुद्धार योजना को लागू किए जाने के बाद बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। सितंबर 2016 के अंत में, यह संख्या 23 से घटकर मात्र 3 रह गई।

प्राथमिक कृषि समितियां (पीएसीएस)

3.23 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में, 2013-14 के दौरान मंदी के बाद, 2014-15 के दौरान तेजी नजर आई (चार्ट 3.15)।

3.24 सदस्यों की तुलना में उधारकर्ताओं के समग्र अनुपात में 2013-14 के दौरान के स्तर की तुलना में सुधार हुआ। यह अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से दिए जाने वाले ऋण की तुलना में उपलब्धता का उपयोगी संकेतक है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अधिकांश सदस्य लघु एवं सीमांत किसान ही बने रहे, किंतु सदस्य की तुलना में उधारकर्ता के समग्र अनुपात में वृद्धि होने में 'ग्रामीण कारीगरों' द्वारा ऋण की तुलना में उपलब्धता में हुई वृद्धि का काफी योगदान रहा (चार्ट 3.16)।

3.25 लाभ कमाने और घाटे में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में, 2013-14 के स्तर की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (चार्ट 3.17)। पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सबसे कमजोर निष्पादन वाले क्षेत्र बने रहे, जहां पर घाटे में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण

चार्ट 3.15 : प्राथमिक कृषि ऋण समिति के बकाया ऋण में वृद्धि

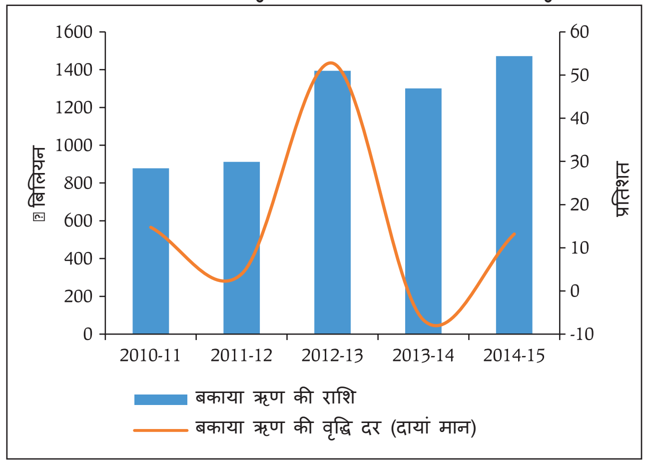

स्रोत : एनएएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.16 : सदस्यता एवं सदस्यों की तुलना में उधारकर्ता अनुपात में हिस्सा

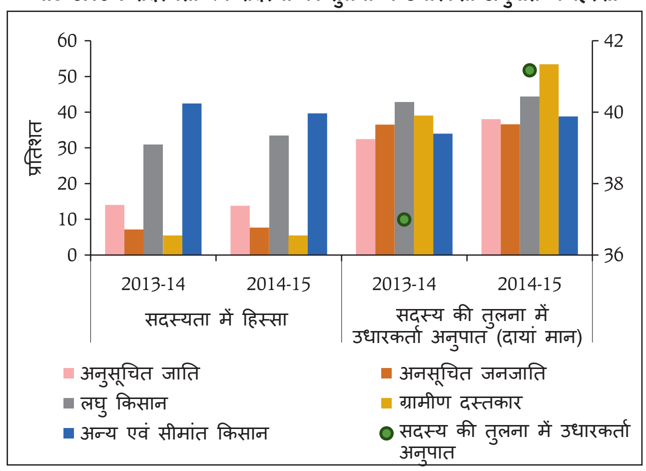

स्रोत : एनएएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

चार्ट 3.17 : लाभ एवं हानि में प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्रतिशत (अखिल भारतीय)

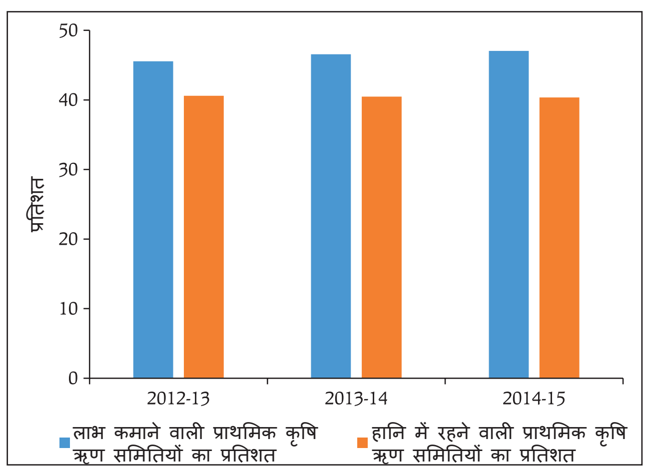

स्रोत : एनएएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

समितियों की संख्या लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से अधिक रही (चार्ट 3.18)। मध्यवर्ती एवं उत्तरी क्षेत्र सबसे मजबूत क्षेत्रों के रूप में उभरे, जहां पर लाभ में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या घाटे में रहने वाली समितियों से काफी अधिक रही।

चार्ट 3.18 : लाभ एवं हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत - क्षेत्रीय स्तर (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

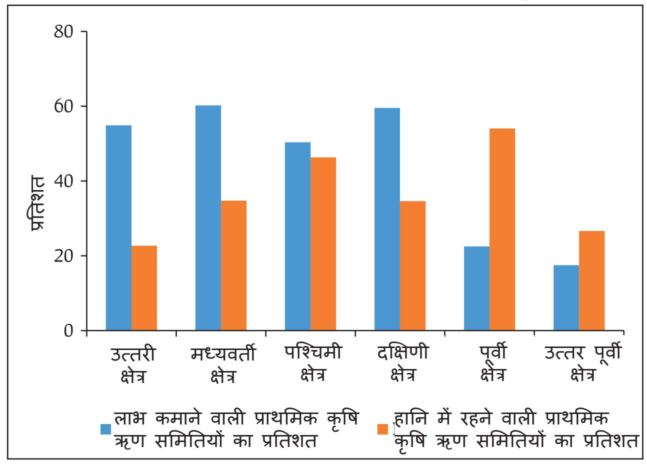

स्रोत : नाबार्ड एनएएफएससीओबी एवं स्टॉफ की गणनाएं

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

3.26 2014-15 में, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन पत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2013-14 में यह वृद्धि 0.7 प्रतिशत थी। देयता पक्ष में, प्रमुख योगदान उधार राशियों एवं अन्य देयताओं का रहा जबकि आस्ति पक्ष में हुई अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि में निवेशों, अन्य आस्तियों तथा ऋणों और अग्रिमों का योगदान रहा। 2014-15 में ब्याज से होने वाली आय में गिरावट आई और इसलिए कुल आय वृद्धि में कमी हुई। तब भी, 2014-15 में निवल हानि में कमी आई क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक परिचालनगत व्ययों के कारण परिचालनगत लाभ में कमी आई। 2014-15 के दौरान आकस्मिकताओं के प्रति किए गए प्रावधानों के 28.9 प्रतिशत कम रहने के कारण ऐसा हुआ।

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

3.27 2014-15 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन पत्रों में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2013-14 में हुई 3.3 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक रही। इसका मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों, अन्य आस्तियों (2013-14 में -1.4 प्रतिशत, 2014-15 में 2.8 प्रतिशत) तथा अन्य देयताओं (2013-14 में -6.7 प्रतिशत, 2014-15 में 4.4 प्रतिशत) में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होना और उधार राशियों में मजबूती से वृद्धि होना रहा (चार्ट 3.19)।

3.28 2014-15 के दौरान, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के नुकसान में वृद्धि हुई क्योंकि व्यय वृद्धि आय वृद्धि से अधिक रही। व्यय की सभी मदों के अंतर्गत वृद्धि में तेजी देखी गई जबकि ब्याज से होने वाली आय में 2014-15 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं 2013-14 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

चार्ट 3.19 : पीसीएआरडीबी की कुल देयताओं और आस्तियों में प्रतिशत घट-बढ़ की तुलना में संघटकों का प्रतिशत योगदान

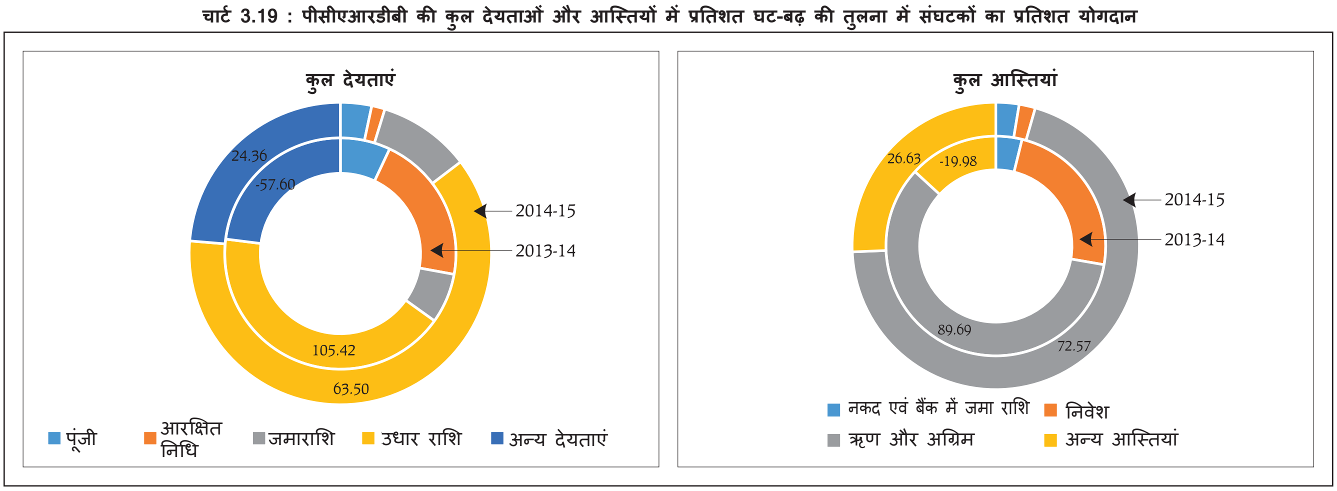

स्रोत : नाबार्ड

3.29 2014-15 में, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण संस्थानों का आस्ति गुणवत्ता एवं वसूली से संबंधित निष्पादन, विशेष रूप से राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के निष्पादन में सुधार हुआ। 2013-14 एवं 2014-15 के बीच राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 35.6 प्रतिशत से गिरकर 30.3 प्रतिशत रह गया और वसूली अनुपात में 33.2 प्रतिशत से 46.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात 2013-14 में 37.3 प्रतिशत था जो घट कर 2014-15 में 36.2 प्रतिशत रह गया और मांग की तुलना में वसूली अनुपात में सुधार जारी रहा (2012-13 में 42.7 प्रतिशत, 2013-14 में 43.9 प्रतिशत और 2014-15 में 44.6 प्रतिशत) (सारणी 3.3)।

सारणी 3.3 : ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (दीर्घावधि)

(₹ बिलियन)

मद	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक				प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक			
	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़		मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2014	2015 अ	2013-14	2014-15अ	2014	2015अ	2013-14	2014-15अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	72.6	64.4	7.5	-11.3	48.1	53.6	-0.3	11.5
i. अवमानक	31.05 (42.8)	24.6 (38.1)	10.3	-20.9	22.1 (46.0)	27.3 (50.9)	-0.6	23.6
ii. संदिग्ध	41.4 (57.0)	39.2 (60.9)	8.7	-5.2	25.6 (53.3)	26.0 (48.5)	-0.04	1.4
iii. हानि	0.1 (0.2)	0.6 (0.9)	-91.1	445.5	0.4 (0.8)	0.3 (0.6)	-2.6	-13.5
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का सकल अनुपात (%)	35.6	30.3			37.3	36.2		
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%) (विगत वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार)	33.3	46.7			43.9	44.6		

टिप्पणियां : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं। अ : अनंतिम
स्रोत : नाबार्ड

अध्याय IV
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

परिचय

4.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) के तहत विविध प्रकार की वित्तीय संस्थाएं आती हैं जिनमें से भारतीय रिज़र्व बैंक तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। इनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और एकल प्राथमिक डीलर (पीडी) शामिल हैं। जहां एआईएफआई क्षेत्र विशेष में दीर्घकालिक वित्त पोषण करते हैं, एनबीएफसी विशेष क्षेत्रों जैसे कि किराया खरीद, भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण, वाणिज्यिक वाहनों और अन्य के साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की विशेषज्ञता रखते हैं। प्राथमिक डीलर, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्माता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस अध्याय में 2015-16 में एनबीएफआई के इन प्रत्येक निकायों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

I. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)

4.2 मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार, चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं थीं जो रिज़र्व बैंक के पूर्णतः विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन थीं, नामतः भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

तुलन पत्र

4.3 2015-16 के दौरान एआईएफआई के समेकित तुलन-पत्र में 13.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ (सारणी 4.1)। 2015-16 के दौरान आस्तियों की ओर ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में सबसे अधिक 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देयताओं की ओर केवल 3.4 प्रतिशत की साधारण वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष के दौरान बांडों और डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 4.1: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(राशि मिलियन ₹ में)

मद	2015	2016	प्रतिशत घट-बढ़
देयताएं			
1. पूंजी	109,594 (2.21)	135,963 (2.42)	24.0
2. आरक्षित निधि	381,197 (7.69)	435,017 (7.75)	14.1
3. बांड और डिबेंचर	1,187,625 (23.96)	1,385,767 (24.69)	16.7
4. जमा राशियां	2,309,436 (46.60)	2,387,282 (42.53)	3.4
5. उधार राशियां	469,271 (9.47)	741,117 (13.2)	57.9
6. अन्य देयताएं	499,011 (10.07)	528,285 (9.41)	5.9
कुल देयताएं या आस्तियां	**4,956,133**	**5,613,432**	**13.3**
आस्तियां			
1. नकदी और बैंक शेष	205,305 (4.14)	272,872 (4.86)	32.9
2. निवेश	323,585 (6.53)	421,663 (7.51)	30.3
3. ऋण और अग्रिम	4,273,155 (86.22)	4,761,769 (84.83)	11.4
4. भुनाए गए / पुनर्भुनाए गए बिल	35,736 (0.72)	26,383 (0.47)	-26.2
5. स्थिर आस्तियां	6,584 (0.13)	6,922 (0.12)	5.1
6. अन्य आस्तियां	111,769 (2.26)	123,822 (2.21)	10.8

टिप्पणियां: i. आंकड़े चार एफआई से संबंधित हैं, जैसे, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी के आंकड़े मार्च अंत के हैं, जबकि एनएचबी के आंकड़े जून अंत के हैं।

ii. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं या आस्तियों की तुलना में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : 1. एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की क्रमशः मार्च 2015 और 2016 के अंत की लेखापरीक्षित ओएसएमओएस विवरणियां।

2. एनएचबी की क्रमशः जून 2015 और 2016 के अंत की लेखापरीक्षित ऑस्मोस विवरणियां।

सारणी 4.2: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन

(राशि मिलियन रुपए में)

	2014-15	2015-16	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
ए) आय (ए+ बी)	**350,113**	**395,084**	**44,971**	**12.84**
ए) ब्याज आय	333,694 (95.31)	385,641 (97.61)	51,947	15.57
बी) गैर-ब्याज आय	16419 (4.69)	9443 (2.39)	-6,976	-42.49
बी) व्यय (ए+ बी)	**262,646**	**300,667**	**38,021**	**14.48**
ए) ब्याज व्यय	243,332 (92.65)	278,544 (92.64)	35,212	14.47
बी) परिचालनगत व्यय	19,314 (7.35)	22,123 (7.36)	2,809	14.54
जिनमें से वेतन बिल	13,624	15,381	1,757	12.90
सी) लाभ				
परिचालनगत लाभ (कर पूर्व लाभ)	78,339	69,722	-8,617	-11.00
निवल लाभ (कर पश्चात लाभ)	52,930	48,088	-4,842	-9.15

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय की तुलना में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोतः 1. एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की क्रमशः 31 मार्च 2015 और 2016 के अंत की लेखापरीक्षित ओएसएमओएस विवरणियां।

2. एनएचबी की क्रमशः जून 2015 और 2016 के अंत की लेखापरीक्षित ओएसएमओएस विवरणियां।

वित्तीय निष्पादन

4.4 2015-16 के दौरान गैर-ब्याज आय में उल्लेखनीय कमी आने के बावजूद एआईएफआई ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की (सारणी 4.2)। आय की तुलना में व्यय में वृद्धि के बढ़ने से परिचालनगत लाभ और निवल लाभ जैसे प्रमुख संकेतकों में वर्ष के दौरान गिरावट आई।

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)

4.5 वर्ष के दौरान सभी चार वित्तीय संस्थाओं के आस्तियों पर प्रतिफल में गिरावट नज़र आती है जिसका मुख्य कारण बढ़ती हुई लागतें रहीं (चार्ट 4.1)। सिडबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ सबसे अधिक रहा और उसके बाद एनएचबी, नाबार्ड और एक्जिम बैंक आते हैं।

चार्ट 4.1: एआईएफआई की आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ

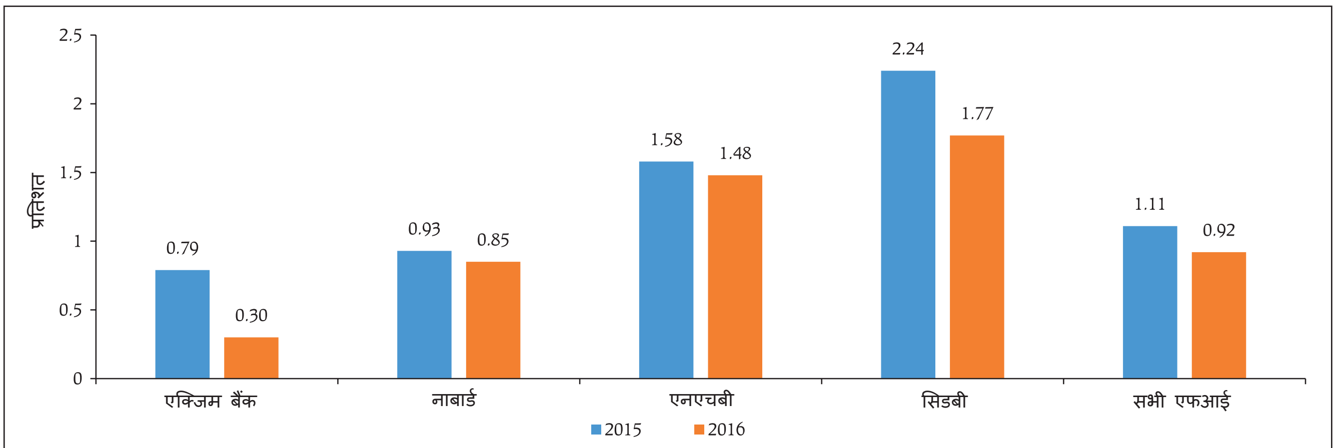

स्रोतः 1. एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च 2015 और 2016 की लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।
2. ऑसमॉस विवरणियां 30 जून 2015 और 2016 की एनएचबी की लेखापरीक्षित।

पूंजी पर्याप्तता

4.6 2015-16 के दौरान एआईएफआई की पूंजी पर्याप्तता में मामूली कमी देखी गई। वित्तीय संस्थानों के मामले में एक्जिम बैंक और सिडबी की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति में गिरावट आई जबकि नाबार्ड और एनएचबी की स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट 4.2)। फिर भी सभी चार वित्तीय संस्थानों ने 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में उच्चतर सीआरएआर बनाए रखा।

आस्ति गुणवत्ता

4.7 एआईएफआई की आस्ति गुणवत्ता में मामूली रूप से गिरावट आई क्योंकि निवल ऋणों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए में बढ़ोतरी हुई, जो कि 2014-15 के 0.26 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 0.29 प्रतिशत हो गया (चार्ट 4.3)। एनएचबी और सिडबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जबकि एक्जिम बैंक में इसमें गिरावट आई। एआईएफआई के बीच एक्जिम बैंक के निवल एनपीए की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।

II. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

4.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके देयता ढांचे के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है : जमा राशि स्वीकार करने वाली-एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि स्वीकार न करने वाली-एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी)। मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक में 11,682 एनबीएफसी पंजीकृत थीं जिसमें से 202 एनबीएफसी-डी और 11,480 एनबीएफसी-एनडी थीं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली 209 एनबीएफसी थीं (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) जो और अधिक कठोर विवेकपूर्ण मानदंडों और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के अधीन आती हैं।

4.9 सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया से रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई दोनों की संख्या में कमी आई जिससे एनबीएफसी की आस्तियों में

चार्ट 4.2: एआईएफआई की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (मार्च अंत की स्थिति)

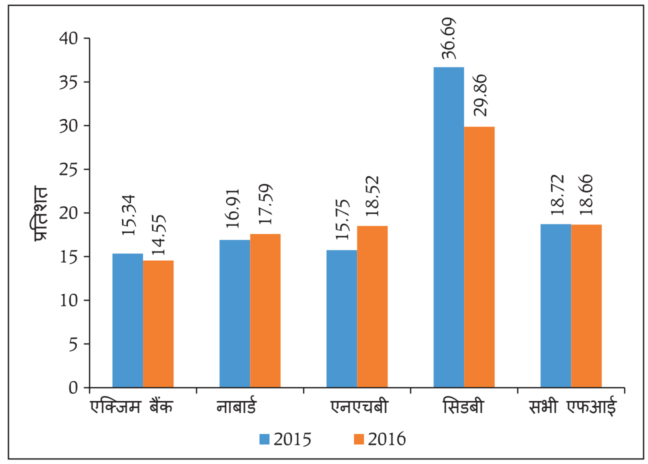

स्रोतः 1. एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां 31 मार्च 2015 और 2016 की हैं।
2. एनएचबी की लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां 30 जून 2015 और 2016 की हैं।

चार्ट 4.3: एआईएफआई के निवल एनपीए/निवल ऋण (मार्च की स्थिति)

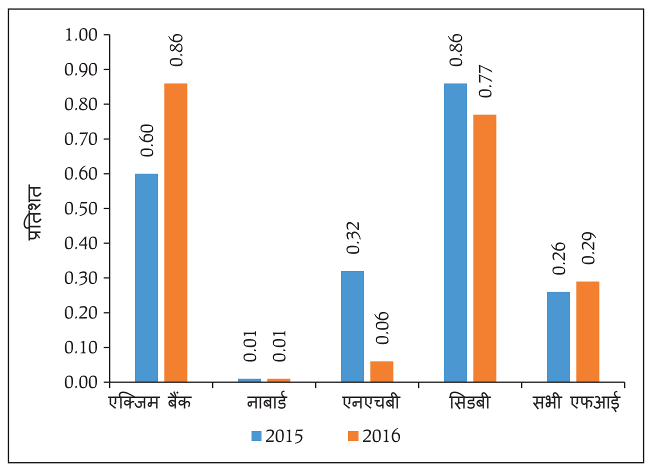

स्रोतः 1. एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां 31 मार्च 2015 और 2016 की हैं।
2. एनएचबी की लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां 30 जून 2015 और 2016 की हैं।

सारणी 4.3: एनबीएफसी के स्वामित्व का स्वरूप (कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	2015 एनबीएफसी -डी	2016 एनबीएफसी -डी	2015 एनबीएफसी -एनडी-एसआई	2016 एनबीएफसी - एनडी-एसआई
क. सरकारी कंपनियां	7 (3.2)	5 (2.5)	10 (5.0)	16 (7.7)
ख.गैर-सरकारी कंपनियां	211 (95.9)	194 (97.5)	190 (95.0)	193 (92.3)
1. सरकारी लि. कंपनियां	209 (95.0)	188 (94.5)	105 (52.5)	105 (50.2)
2. निजी लि. कंपनियां	2 (0.9)	6 (3.0)	85 (42.5)	88 (42.1)
कंपनियों की कुल संख्या (क)+(ख)	**220** (100.0)	**199** (100)	**200** (100.0)	**209** (100)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े एनबीएफसी की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई का तात्पर्य जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी है जिनकी आस्ति का आकार ₹ 500 करोड़ से अधिक या उसके बराबर है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग.

महत्वपूर्ण संवृद्धि जारी रही। एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के स्वामित्व का पैटर्न सारणी-4.3 में दिया गया है।

4.10 आस्ति गुणवत्ता संबंधी दबावों के कारण आई बाधाओं के चलते बैंकों में ऋण की संवृद्धि में गिरावट आई, लेकिन एनबीएफसी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2015-16 के दौरान एनबीएफसी क्षेत्र ने 15.5 प्रतिशत की ऋण संवृद्धि प्राप्त की जबकि वाणिज्यिक बैंकों ने खाद्येतर-ऋण क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की संवृद्धि प्राप्त की। 2012 से एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तथापि, बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए की तुलना में एनबीएफसी के एनपीए अपेक्षाकृत कम रहे (चार्ट 4.4)।

4.11 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-खाता समूहक (एए) के रूप में एनबीएफसी की एक नई श्रेणी सितंबर 2016 में प्रारंभ की है ताकि वैयक्तिक निवेशकों की वित्तीय आस्ति धारिताओं का एक समेकित परिदृश्य सामने लाया जा सके, विशेष रूप से उन निकायों के संबंध में जो वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों के तहत आते हैं। खाता- समूहक ग्राहक को या ग्राहक के अनुदेशों के अनुरूप किसी अन्य व्यक्ति को ग्राहक की वित्तीय आस्तियों की जानकारी समेकित, व्यवस्थित और पुन: प्रापणीय स्वरूप में एकत्र और प्रदान करके इस अंतर को भरते हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक रूप में समकक्षीय उधार (पी2पी) गति पकड़ रहा है और भारत में इसकी जड़ें जम रही हैं, रिज़र्व बैंक इसे अपनी विनियामकीय परिधि के भीतर लाने की प्रक्रिया में है।

चार्ट 4.4: एनबीएफसी और बैंकों के एनपीए (सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में सकल एनपीए) (मार्च अंत की स्थिति)

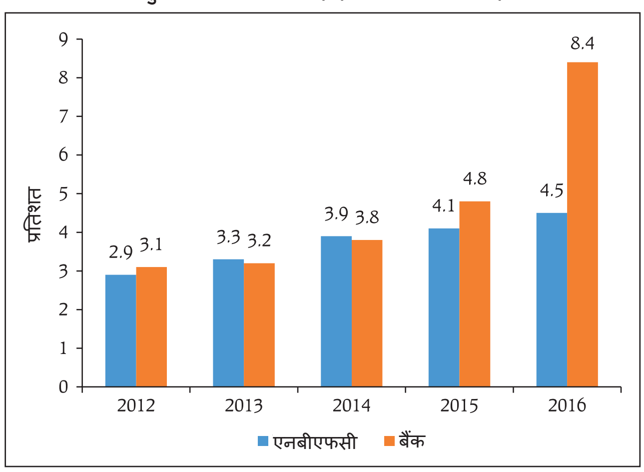

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां एवं बैंकों के वार्षिक लेखा

II-ए जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबएफसी-डी)

4.12 एक सुविचारित नीति के तहत रिज़र्व बैंक एनबीएफसी को सार्वजनिक जमा राशि संग्रह करने की गतिविधियों में शरीक होने से हतोत्साहित करता है। ऐसा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता कायम रखने के लिए किया जा रहा है। एनबीएफसी-डी के लिए विनियमनों को कठोर बनाया गया है ताकि केवल ठोस और भली प्रकार से कार्य करने वाले निकाय ही व्यवसाय में बने रहें।

तुलन पत्र

4.13 2015-16 के दौरान एनबएफसी-डी के तुलन पत्रों में 29.2 प्रतिशत का विस्तार हुआ (सारणी 4.4)। आस्ति पक्ष में, ऋणों और अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो आस्तियों का लगभग 90 प्रतिशत थे जबकि एनबएफसी-डी की निवेश गतिविधियों में वर्ष के दौरान गिरावट का रुख रहा। बैंकों से ली गई उधारियां एनबएफसी-डी के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत रहीं। डिबेंचरों के जुटाई गई निधियां दूसरा मुख्य स्रोत रहीं, वर्ष के दौरान इनमें 38.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एनबीएफसी-डी की समग्र सार्वजनिक जमाराशि

4.14 एनबीएफसी-डी द्वारा एकत्र की जा रही सार्वजनिक जमाराशियों में वर्ष 2010 से वृद्धि का रुख बना हुआ है (चार्ट 4.5)।

सारणी 4.4: एनबीएफसी-डी का (मार्च अंत की स्थिति) समेकित तुलन पत्र*

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2015	2016 अ	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	31	34	9.2
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	258	337	30.9
3. जनता की जमाराशि	270	379	40.6
4. डिबेंचर	389	539	38.6
5. बैंक को उधार	552	659	19.3
6. एफआई से उधार	16	23	43.1
7. अंतर-कार्पोरेट उधार	2	6	283.3
8. वाणिज्यिक पत्र	58	66	13.8
9. सरकार से उधार	38	30	-21.3
10. गौण ऋण	76	88	15.6
11. अन्य उधार	157	224	42.2
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,847**	**2,386**	**29.2**
1. ऋण और अग्रिम	1,590	2,117	33.1
2. निवेश	69	85	23.9
3. नकद और बैंक शेष	120	98	-18.7
4. अन्य आस्तियां	68	87	26.7

अः अनंतिम।

टिप्पणीः प्रतिशत अंतर के आंकड़ों में मामूली अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है। ये आंकड़े 162 एनबीएफसी-डी कंपनियों से संबंधित हैं।

स्रोतः एनबीएफसी-डी की त्रैमासिक विवरणियां।

चार्ट 4.5: एनबीएफसी-डी की समग्र सार्वजनिक जमा राशियां

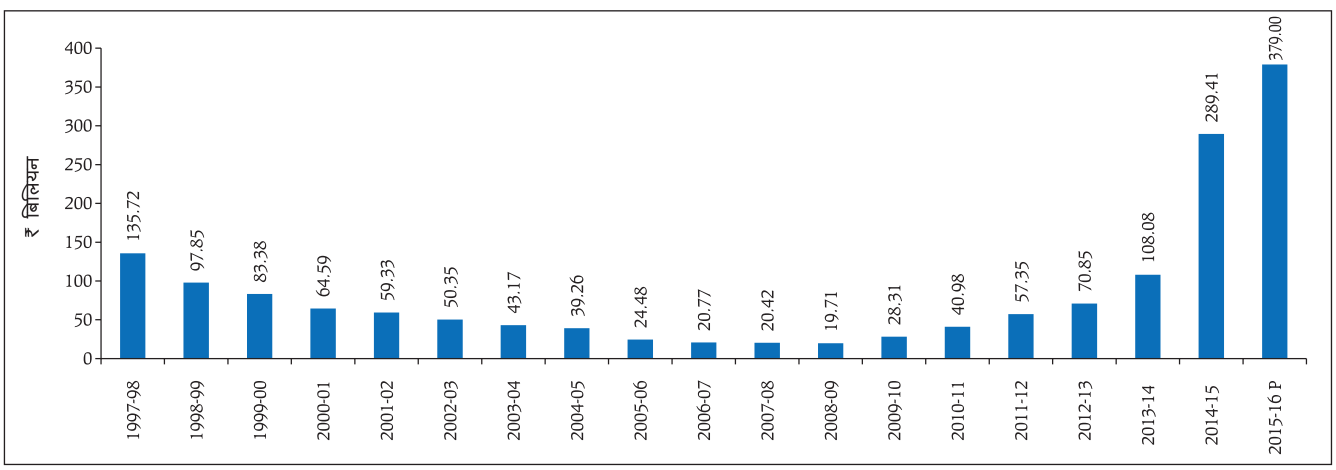

स्रोतः आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियां।

वित्तीय निष्पादन

4.15 वर्ष के दौरान एनबीएफसी-डी की आय में वर्ष के दौरान 26.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने उच्चतर परिचालन और अन्य खर्चों के बावजूद उच्चतर परिचालन और निवल लाभों में योगदान किया (चार्ट 4.6)।

एनबीएफसी-डी की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की स्थिति

4.16 2015-16 के दौरान एनबीएफसी-डी के एनपीए की स्थिति में और खराब (4.9 प्रतिशत) हुई, जैसा कि सकल एनपीए से परिलक्षित होता है (चार्ट 4.7)। श्रेणी-वार, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट ऋण कंपनियों (एलसी) की तुलना में आस्ति वित्त कंपनियों (एफसी) के संबंध में कहीं अधिक रही। एनपीए मुख्यत: परिवहन संचालकों, कृषि और मध्यम तथा बड़े उद्यमों जैसे क्षेत्रों के बीच केंद्रित रहा।

II-बी. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)

तुलना पत्र

4.17 2015-16 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन पत्रों में 10.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जो कि पिछले वर्ष (15.9 प्रतिशत) की तुलना में कमतर है (सारणी 4.5)। 2015-16 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों में 12.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई तथापि, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) और ऋण कंपनियों

सारणी 4.5: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र - (मार्च अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2015	2016 अ	घट-बढ़ (प्रतिशत)
देयताएं			
1. शेयर पूंजी	630	678	7.7
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	2,271	2,550	12.3
3. कुल उधारियां	9,411	10,335	9.8
4. चालू देयताएं और प्रावधान	608	725	19.3
कुल देयताएं/कुल आस्तियां	**12,920**	**14,288**	**10.6**
आस्तियां			
1. ऋण और अग्रिम	9,516	10,709	12.5
2. निवेश	2,042	2,052	0.5
3. नकद और बैंक शेष	463	434	-6.4
4. अन्य आस्तियां	899	1,093	21.7

अः अनंतिम।

टिप्पणीः इसमें 259 संस्थाओं के आंकड़े शामिल हैं। प्रतिशत आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

स्रोतः एनबीएफसी-एनडी-एसआई की तिमाही विवरणियां (₹ 500 करोड़ और उससे अधिक)।

चार्ट 4.6: एनबीएफसी-डी का वित्तीय निष्पादन

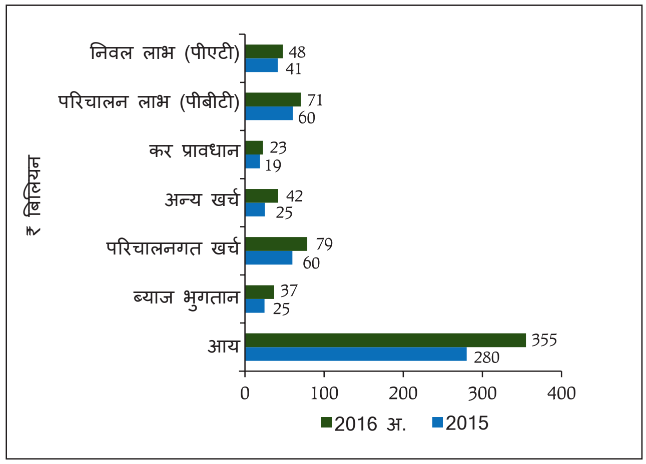

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.7: एनबीएफसी-डी के सकल और निवल एनपीए

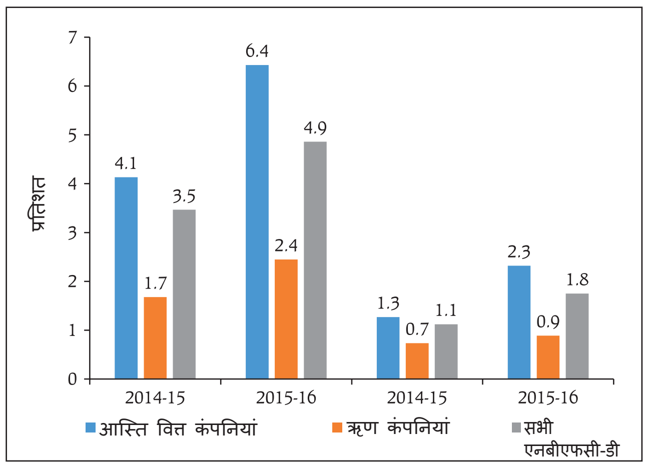

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

(एलसी) द्वारा प्रदान किए गए उधार में हुई धीमी प्रगति के कारण यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

4.18 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी-एनडी-एसआई ने मुख्य रूप से डिबेंचरों, बैंकों से लिए गए उधार और वाणिज्यिक दस्तावेजों के माध्यम से निधियां जुटाई। एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा किए गए निवेशों में मामूली संवृद्धि देखने को मिली।

आस्ति गुणवत्ता

4.19 उनकी आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बना रहा क्योंकि उनके एनपीए अनुपात में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में मामूली रूप से तेजी आई (चार्ट 4.8)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के बीच एनपीए में मुख्य हिस्सेदारी एलसी की रही और उसके बाद एनबीएफसी- आईएफसी और एएफसी का स्थान रहा। 2015-16 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लाभों में मामूली सुधार हुआ (चार्ट 4.9)।

III. प्राथमिक डीलर (पीडी)

4.20 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 21 प्राथमिक डीलर थे जिनमें से 14 बैंक थे और शेष सात गैर-बैंक निकाय (एकल पीडी) एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत थे। 2015-16 के दौरान सभी प्राथमिक डीलरों ने वर्ष की प्रथम छमाही के साथ ही दूसरी छमाही, दोनों में ही निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात (खजाना-बिलों और नकदी प्रबंधन बिलों [सीएमबी] दोनों को मिलाकर प्रत्येक छमाही के लिए 40 प्रतिशत की बिडिंग प्रतिबद्धता के प्रति स्वीकार्य बिड) प्राप्त किया। प्राथमिक डीलरों ने 2015-16 के दौरान जारी किए गए खजाना बिलों के 75 प्रतिशत को सब्सक्राइब किया जबकि 2014-15 के दौरान 62 प्रतिशत ही सब्सक्राइब किया गया था। 2015-16 के दौरान प्राथमिक डीलरों को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक था।

4.21 2015-16 के दौरान, द्वितीयक बाजार में सभी 21 पीडी ने व्यक्तिगत रूप से जी-सेक में 5 गुना और खजाना-बिलों में 10 गुना के अनुपात से न्यूनतम अपेक्षित कुल वार्षिक टर्नओवर (एक मुश्त और रेपो लेनदेन) प्राप्त किया। प्राथमिक डीलरों की आंशिक गतिविधियां 7 अवसरों पर हुई जो ₹109.99 बिलियन की थीं जबकि 2014-15 में 2 अवसरों पर ₹52.71 बिलियन का गतिविधियां हुई थी।

चार्ट 4.8: एनबीएफसी-एनडी-एसआई के एनपीए अनुपात

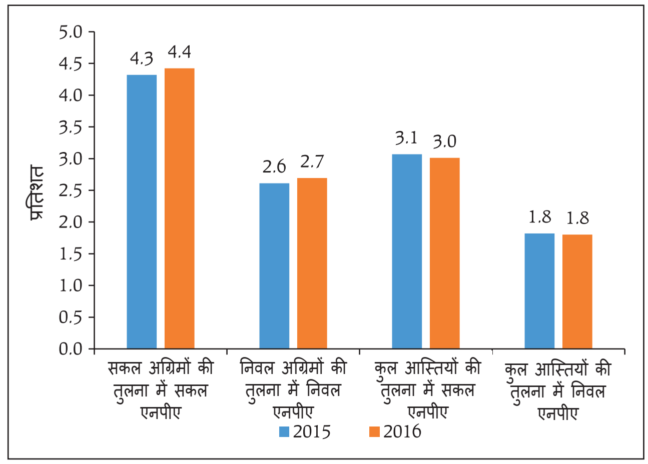

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.9: एनबीएफसी-एनडी-एसआई के वित्तीय निष्पादन

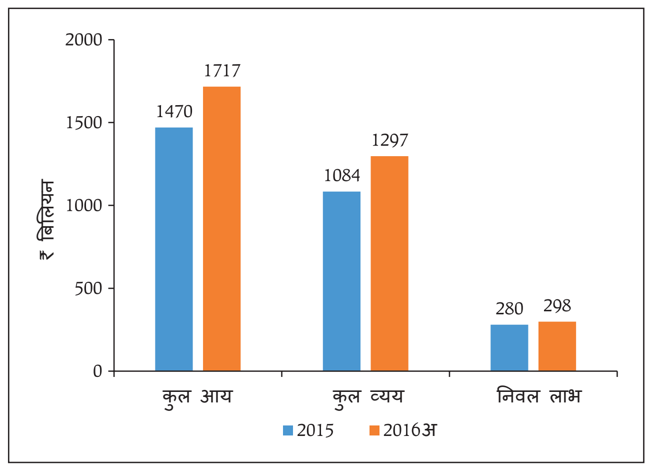

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

एकल प्राथमिक डीलरों का वित्तीय निष्पादन

4.22 2015-16 में गोल्डमैन सैश (इंडिया) कैपिटल मार्केट प्रा. लि. को छोड़कर, सभी सात एकल पीडी ने लाभ दर्ज किया। नए कारकों (ट्रिगर) की कमी के कारण सीमित व्यापारिक अवसरों की उपलब्धता के कारण कर पूर्व लाभ (पीएटी) में गिरावट आई और वर्ष में अधिकतर समय प्रतिफल वक्र अपेक्षाकृत रूप से सपाट रहा (चार्ट 4.10)।

एकल प्राथमिक डीलरों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति

4.23 एकल प्राथमिक डीलरों ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कम जोखिम-भारित आस्तियां धारित की (चार्ट 4.11)। पीडी की पूंजी पर्याप्तता स्थिति वर्ष के दौरान 41.5 प्रतिशत रही जो 15 प्रतिशत के निर्धारित विनियामकीय मानदंड से कहीं अधिक है। वर्ष के दौरान सभी पीडी ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के प्रति अपनी विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा किया।

एनबीएफसी क्षेत्र का समग्र मुल्यांकन

4.24 वित्तीय समावेशन में एनबीएफसी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियों को पूरा करता है, विशेष रूप से जहां वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदगी सीमित होती है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि को प्रोन्नत करने में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की संभावना है।

4.25 2015-16 के दौरान एनबीएफसी क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया जारी रही जिसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई दोनों की संख्या में कमी आई। उनकी आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। एनबीएफसी की जोखिम को सीमित रखने और छोटे (नीश) बाजारों में मांग का लाभ उठाने की क्षमता के कारण तीव्र ऋण वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य बैंकों की तुलना में एनबीएफसी की लाभप्रदता उल्लेखनीय रूप से कहीं अधिक रही।

4.26 एनबीएफसी क्षेत्र ने मुख्य रूप से डिबेंचरों, बैंकों से उधारियों और वाणिज्यिक दस्तावेजों के जरिए निधियां जुटाना जारी रखा। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण प्रदान करने

चार्ट 4.10: एकल पीडी के वित्तीय निष्पादन

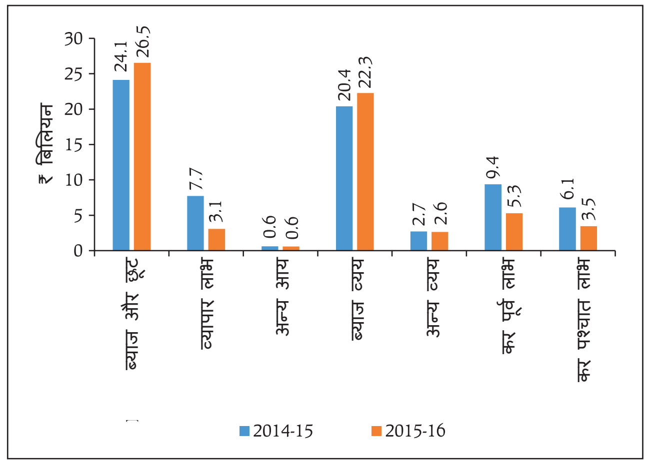

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 4.11: एकल पीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्ति स्थिति
(मार्च अंत की स्थिति)

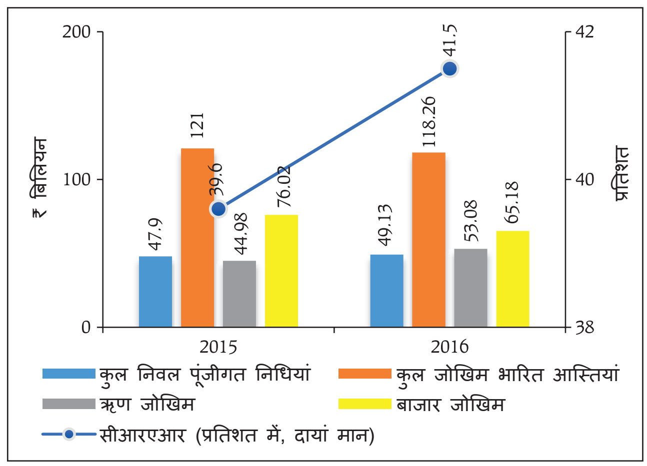

स्रोतः आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

वाली एनबीएफसी के लिए रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधारियों से संबंधित मानदंडों में छूट प्रदान की ताकि वे न्यूनतम पांच वर्षों की परिपक्वता अवधि वाली बाह्य वाणिज्यिक उधारियां उठा सके। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी को विदेशों में रुपए में मूल्यवर्गित बांडों के जरिए भी निधियां जुटाने की अनुमति प्रदान की है।

4.27 एनबीएफसी का एनपीए बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहा है तथापि, 2012 से एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दृष्टिगत हो रही है। नीतिगत पक्ष की ओर देखें तो रिज़र्व बैंक ने 2014 में एनबीएफसी के लिए जो संशोधित विनियामकीय ढांचा प्रस्तुत किया था वो चरणबद्ध रूप में साकार होना प्रारंभ हो गया है ताकि विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत बनाया जा सके।

अध्याय V

वित्तीय समावेशन : नीति एवं प्रगति

5.1 बैंकिंग और भुगतान सेवाएं सभी को प्रदान करने तथा ऋण देने के प्रारूपों में सुधार करने, विशेष रूप से, जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लिए, को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन कार्यसूची तैयार की गई है। संवहनीय एवं मापनीय वित्तीय समावेशन प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों, नए उत्पाद एवं अन्य सहयोगी उपायों के प्रावधानों में समुचित रियायत जैसी अनेक रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

I. वित्तीय समावेशन : नीतिगत दृष्टिकोण एवं हस्तक्षेप

रिज़र्व बैंक ने पिछले दशक से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए हैं:

प्रतिनिधि बैंकिंग को अनुमति प्रदान करना

5.2 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारोबार सुलभकर्ता और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। बीसी मॉडल के अंतर्गत बैंकों को अनुमति है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी जमा और नकदी निकाल संबंधी लेनदेन की सुविधा प्रदान करें, इस प्रकार ग्रामीणों को होने वाली समस्यों का समाधान होगा।

2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना

5.3 देश के बैंक रहित सभी गाँवों में द्वारस्थ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले चरण (2010-13) के दौरान 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित सभी गाँवों को चिह्नित किया गया था और इन्हें राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से अनेक तरीकों यथा - शाखा अथवा बीसी अथवा अन्य तरीके यथा एटीएम, मोबाइल वैन इत्यादि के जरिए विभिन्न बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को आबंटित किया गया। पहले चरण के दौरान एसएलबीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए। इस प्रकार से खोले गए बैंकिंग आउटलेट में 2,493 शाखाओं के अतिरिक्त, बीसी के जरिए खोले गए आउटलेट 69,589 और अन्य तरीकों के जरिए खोले गए 2,332 आउटलेट शामिल हैं।

2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलना

5.4 पहले चरण की योजना को पूरा करने के बाद, 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरा चरण (2013-16) प्रारंभ किया गया। 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित 4,90,298 गाँवों को चिह्नित किया गया और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरे देश में एसएलबीसी के जरिए विभिन्न बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को आबंटित किया गया। 30 जून 2016 को प्रस्तुत एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 4,52,151 गाँवों में 14,976 शाखाओं, 4,16,636 बीसी एवं 20,539 अन्य तरीकों यथा एटीएम, मोबाइल वैन इत्यादि के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई जिससे 92.2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

वित्तीय समावेशन की योजनाएं

5.5 सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूचित किया कि वे अपनी कारोबार रणनीतियों तथा तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी बोर्ड कार्पोरेट रणनीतियों के आंतरिक भाग के रूप में बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करें। एफआईपी को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें और इसे तीन वर्षों में लागू करें। इन योजनाओं में आम तौर पर खोली गई ग्रामीण भौतिक शाखाएं; नियोजित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी); बैंक रहित गाँवों में शाखाओं/बीसी/अन्य तरीकों से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) खोलना; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) निर्गत करने के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए अन्य विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।

5.6 अप्रैल 2011 में, घरेलू एससीबी को निर्देशित[1] किया गया कि वे वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर– 5 और टियर-6) केंद्रों पर खोलें। उसके पश्चात, वर्ष 2013 में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए अपने एफआईपी के अनुसार तीन वर्षों में बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलने की सूची प्रस्तुत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलने को बढ़ावा देने के लिए बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं (एक वर्ष में 25 प्रतिशत से अधिक) खोलने के लिए 'क्रेडिट' प्रदान किया गया, साथ ही यह अनुमति भी प्रदान की गई वे उस 'क्रेडिट' को एफआईपी के अगले वर्षों के लिए भी आगे ले जा सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानें संबंधी मानदंडो में रियायत दी गई

5.7 इस बात को स्वीकार करते हुए कि केवाईसी ज़रूरतें और संबंधित दस्तावेज संभवत: बैंक खाता खोलने में आम लोगों के लिए अड़चन पैदा करते हैं, इसलिए बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंड़ों को यथा संभव सरल किया गया। परिणामस्वरूप, छोटे खाते बैंक पदाधिकारियों के समक्ष स्व-प्रमाणन के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारत सरकार द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी जरूरत को पूरा करने के लिए पात्र दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के रूप प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। सितंबर 2013 में, बैंकों को आधार आधारित ई-केवाईसी सेवाएं का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जिससे सभी लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया और बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना सहज हो गया।

II. हाल की नीतिगत पहल एवं गतिविधियां

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश

5.8 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का संबंध अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जैसे कि कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवहार्य और विश्वसनीय कम आय वाली आवासीय परियोजनाएं से है जिन्हें विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलता है। रिज़र्व बैंक की प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी नीति में यह उल्लेख किया गया है कि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार अपने सामान्य कारोबार परिचालन के रूप में ही देना है न कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में देना है। इस पक्ष के लिए सभी ऋण का मूल्य-निर्धारण मुक्त कर दिया गया है, यद्यपि आशा है कि यह नुकसानदायक नहीं साबित होगा।

5.9 रिज़र्व बैंक[2] द्वारा गठित आंतरिक कार्यकारी समूह की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश अप्रैल 2015 में जारी किए गए थे जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलग से 8 प्रतिशत[3] (18 प्रतिशत के कृषि लक्ष्य के भीतर) का लक्ष्य और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य 2017 तक प्राप्त किया जाना है। 2017 में समीक्षा करने के बाद, 2018 से 20 से अधिक शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों पर यही लक्ष्य लागू किए जाएंगे।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें मध्यम उद्यम, विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर आधारित पॉवर जनरेटर, बायोमास आधारित पॉवर जनरेटर, विंड मिल, माइक्रो-हाइडेल संयत्र इत्यादि के लिए ₹150 मिलियन तक के बैंक ऋण) को शामिल किया जा सके। वैयक्तिक हाउसहोल्ड के लिए ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1 मिलियन है।
- वर्ष 2016-17 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अनुपालन पर निगरानी औसतन 'तिमाही' आधार पर की जाएगी।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक पात्र कारोबार करने योग्य लिखत के रूप में माना गया है।
- ₹1 मिलियन तक के शिक्षा ऋण (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण शामिल हैं) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए पात्र है, भले ही मंजूर की गई राशि कितनी भी बड़ी हो।

[1] मौद्रिक नीति वक्तव्य अप्रैल 2011

[2] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9688&Mode=0.

[3] सभी पीएसएल लक्ष्य बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) (जो कि अधिक हो), के संदर्भ लागू हैं।

- 20 से कम शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंक 32 प्रतिशत तक निर्यात ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के तहत रखने के लिए पात्र हैं। 20 शाखाएं और उससे अधिक शाखाएं रखने वाले घरेलू बैंक और विदेशी बैंकों के लिए पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धिशील निर्यात ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) (जो कि अधिक हो) के 2 प्रतिशत तक की ऋण राशि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन पात्र माना गया है।
- 20 से कम शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को एएनबीसी अथवा सीईओबीई, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करना है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

5.10 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र योजना 7 अप्रैल 2016 को परिचालित की गई थी ताकि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो सके। साथ ही, इससे निर्धारित लक्ष्य से लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंक अपने अधिशेष को बेच सकेंगे जिससे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत इस वर्ग को दिए गए ऋण में वृद्धि होगी।

5.11 पीएसएलसी योजना[4] ऐसे बैंक, जो पीएसएल लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, को उन बैंकों से जिनके पास निर्धारित लक्ष्य से अधिक पीएसएल ऋण हैं, से पीएसएलसी की खरीद करके अपने पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंकों द्वारा चार प्रकार के पीएसएलसी अर्थात -सामान्य, कृषि, छोटे और अति लघु किसानों तथा सूक्ष्म उद्यमों, की खरीद/बिक्री की जा सकती है। पीएसएलसी की ट्रेडिंग के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक पात्र हैं। पीएसएलसी प्रणाली उधार जोखिम अथवा अंतर्निहित आस्तियों का अंतरण नहीं करती है।

5.12 बैंकों को पीएसएलसी में ट्रेडिंग करने के लिए रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल ई-कुबेर के जरिए ऑनलाइन बेनामी ट्रेडिंग प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान की गई है। पीएसएलसी का आकार मानक अर्थात ₹2.5 मिलियन अथवा इसके गुणक में होता और इनकी वैधता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक रहती है अर्थात ये कभी भी जारी किए गए हों, वैधता 31 मार्च तक ही रहती है। सितंबर 2016 को समाप्त स्थिति के अनुसार इसमें कुल लेनदेन की मात्रा लगभग ₹140 बिलियन रही थी।

एफआईपी का तीसरा चरण

5.13 मार्च 2016 में एफआईपी के दूसरे चरण (2013-16) की समाप्ति के बाद, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) को सूचित किया गया कि वे अगले तीन वर्ष अर्थात 2016-19 के लिए बोर्ड अनुमोदित एक एफआईपी लक्ष्य निर्धारित करें। सशक्त निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए बैंकों को भी सूचित किया गया कि वे एफआईपी के तहत हुई प्रगति के संबंध में जिला स्तर के आंकड़े प्रस्तुत करें। 30 सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार कतिपय प्रमुख मानदंडों के लिए अपने एफआईपी के तहत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति इस प्रकार है:

- ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 67,694 से बढ़कर सितंबर 2016 में 5,89,849 हो गई।
- बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी केंद्रों की संख्या मार्च 2010 के 447 से बढ़कर सितंबर 2016 में 91,039 हो गई।
- बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) की कुल संख्या मार्च 2010 के 73.5 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 495.02 मिलियन हो गई। बीएसबीडीए में हुई भारी बढ़ोतरी में भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का योगदान हो सकता है।

[4] https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10339&Mode=0.

- जारी किए गए केसीसी की कुल संख्या मार्च 2010 के 24.3 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 46.4 मिलियन हो गई।
- जारी किए गए जीसीसी की कुल संख्या मार्च 2010 के 1.4 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 11.5 मिलियन हो गई।
- इन वर्षों के दौरान बीसी-आईसीटी लेनदेनों में काफी वृद्धि हुई। मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में दर्ज 26.5 मिलियन लेनदेनों से बढ़कर सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में 550.6 मिलियन हो गए।

वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ के विषय पर समिति

5.14 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ पर समिति ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा की गई अनेक सिफ़ारिशों में से कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को लागू किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- भारतीय बैंकिंग संघ (आईबीए) को बीसी रजिस्ट्री और बीसी प्रमाणन से संबंधित फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- चल आस्ति पंजीकरण की शुरूआत।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के भाग के रूप में क्रॉप-मैपिंग और नुकसान मूल्यांकन के लिए यूनिवर्सल क्रॉप इंश्यूरेंस और सैटलाइट इमेज।
- एनएफएस से जुड़े एटीएम के जरिए मोबाइल नं. का पंजीकरण।
- क्षेत्रीय कार्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाना।

5.15 कार्यान्वित की जा रही कई सिफ़ारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं: एमएसएमई के लिए पेशेवर उधार मध्यवर्ती संस्थाएं/सलाहकार संबंधी प्रणाली की शुरूआत, पूरे देश में वित्तीय साक्षरता और समावेशन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण, वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों द्वारा स्व-शिक्षण को बढ़ावा के लिए 100 स्थानों पर कीओस्क (30 संवादमूलक और 70 गैर-संवादमूलक) लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजना, वित्तीय साक्षरता कैंप के प्रभाव का मूल्यांकन और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे द्वारा लीड साक्षरता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम तैयार करना।

वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी)

5.16 रिज़र्व बैंक द्वारा सतत आधार पर वित्तीय समावेशन की नीतियों की समीक्षा करने तथा एफआई के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के संबंध में विशेषज्ञ परामर्श देने हेतु वर्ष 2012 में वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया गया था। अनेक हितधारकों के एफआई प्रयासों का सम्मिश्रण करने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए एफआईएसी का पुनर्गठन जुलाई 2015 में किया गया था जिसमें भारत सरकार, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं जिसका नए सिरे से जोर एफआई तथा वित्तीय साक्षरता नीतियों तथा प्रगति की समीक्षा और निगरानी; प्रभाव का मूल्यांकन करना और वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) तैयार करने पर है।

5000 से अधिक आबादी वाले गांव, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, में बैंकों की भौतिक शाखाएं खोलने की योजना तैयार करना

5.17 बैंकिंग विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भौतिक शाखाएं एक अभिन्न घटक है और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांव, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं नहीं हैं, में बैंकों की शाखाएं खोलने पर ध्यान दिया जाए। इसलिए, सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) समन्वयक बैंकों को सूचित[5] किया गया था कि वे अपने राज्य में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को चिह्नित करें जिनमें एससीबी को कोई शाखा नहीं है। इस संबंध में एसएलबीसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार 6,593 गांवों की पहचान की गई और उन गांवों में शाखाएं खोलने के लिए एससीबी (आरआरबी शामिल हैं) को आबंटित कर दिया गया है। इस योजना के तहत भौतिक शाखाएं खोलने का कार्य मार्च 2017 तक पूरा किया जाना है।

[5] आरबीआई परिपत्र सं. एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.82/02.01.001/2015-16 दिनांक 31 दिसंबर 2015

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण-प्रवाह को संगत बनाना

5.18 अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को समय पर वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए अगस्त 2015 में बैंकों को सूचित[6] किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र से संबंधित ऋण देने की मौजूदा नीतियों की समीक्षा करें और इन नीतियों में मीयादी ऋण के संबंध में अतिरिक्त उधार सुविधा की मंजूरी के लिए प्रावधान, अतिरिक्त कार्यशील पूंजीगत सीमा, नियमित कार्यशील पूंजीगत सीमा और ऋण देने के निर्णय की समय-सीमा के निर्धारण की मध्यावधि समीक्षा शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास संबंधी ढांचा

5.19 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव समाप्त करने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली प्रदान करने हेतु मार्च 2016 में बैंक को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास संबंधी फ्रेमवर्क' जारी किया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत ₹250 मिलियन तक की ऋण सीमा रखने वाली एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाएगा।

एमएसएमई क्षेत्र को वित्त देने हेतु बैंकिंग स्टाफ-सदस्यों की क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन

5.20 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने का कार्य करने वाले बैंक के फील्ड स्तर के स्टाफ-सदस्यों में उद्यमी संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अगस्त 2015 में रिज़र्व बैंक ने सीएबी, पुणे के साथ मिलकर 'एमएसएमई क्षेत्र को वित्त देने हेतु बैंकिंग स्टाफ-सदस्यों की क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन' (एनएएमसीएबीएस) नाम से क्षमता-निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था:

(i) वाणिज्यिक बैंकों के एमएसएमई प्रभाग के प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ii) वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण।

(iii) एमएसएमई के लिए विशेषज्ञ शाखाओं के प्रभारियों के लिए क्षमता-निर्माण।

वित्तीय साक्षरता की पहल

5.21 भारत में वित्तीय साक्षरता एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय समावेशन के लिए मांग पक्ष को समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पैन-इंडिया बेसलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है। पांच लक्ष्य समूहों यथा किसान, छोटे उद्यमी, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), स्कूल के विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिकों हेतु लक्ष्योन्मुख विषय-वस्तु वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता के अनुकूल कार्यक्रम के लिए तैयार की जा रही है। मौजूदा एफएलसी संरचना को बढ़ाने के लिए ब्लाक स्तर पर 100 एफएलसी केंद्रों की स्थापना हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के कार्य

5.22 बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए दिशानिर्देश तथा एफएलसी एवं ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैंप के संचालन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जनवरी 2016 में संशोधित किए गए थे। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सुदृढ़ एफएलसी ढांचे के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू करें ताकि एफएलसी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें तथा एफएलसी काउंसलर्स की नियुक्तियां की जा सकें। मार्च 2016 के अनुसार 1384 एफएलसी कार्यरत थे। एफएलसी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 87,710 वित्तीय साक्षरता गतिविधियां (आउटडोर कैंप) आयोजित की गईं।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की स्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजना

5.23 मौजूदा एफएलसी की कुछ ही राज्यों में विषम विभाजन की चुनौती को देखते हुए सीमित आउटरीच कार्यक्रम तथा निचले स्तर पर वित्तीय साक्षरता पर खासतौर से फोकस करने के लिए रिज़र्व बैंक कुछ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर प्रायोगिक आधार पर सीएफएल की स्थापना करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है। ब्लॉक स्तर पर सीएफएल परियोजना के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

ए) क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण (ब्लॉक)

बी) कैंपों की समय-सारणी

[6] उनके 'कार्यकाल' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के ऋण प्रवाह को संगत बनाना, आरबीआई परिपत्र https://rbi.org.in/SCRIPTS/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10000.

सी) कुशल कार्यबल

डी) एनजीओ के साथ भागीदारी

ई) प्रौद्योगिकी का प्रयोग

एफ) एक समान नाम और लोगो 'वित्तीय साक्षरता के लिए मुद्रावार केंद्र

5.24 वित्तीय समावेशन निधि की सहायता से 10 राज्यों में 100 सीएफएल की स्थापना करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। योग्य एनजीओ/संस्थाओं के साथ भागीदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ताकि वित्तीय साक्षरता गतिविधियों के संचालन के लिए और अधिक कुशल दृष्टिकोण/पद्धति अपनाई जा सके।

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित तकनीकी समूह

5.25 एफएसडीसी उप-समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में एक तकनीकी समूह का गठन नीतिगत स्तर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता के प्रयासों के साथ समन्वय करने के लिए किया गया है। इस समूह के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर हैं और इसमें सभी विनियामकों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई है जिसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि वित्तीय शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) को कार्यान्वित किया जा सके। एनसीएफई की मुख्य भूमिका वित्तीय शिक्षण पर सामग्री बनाना है तथा पूरे देश में वित्तीय शिक्षण का अभियान चलाना है।

तकनीकी समूह के अधीन की गई कुछ पहल के ब्योरे इस प्रकार हैं:

किओस्क परियोजना

5.26 वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए पांच राज्यों में प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर जैसे बैंकों, डाकघरों, कलेक्टर कार्यालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास लगभग 100 किओस्क (30 इंटरऐक्टिव किओस्क तथा 70 गैर-इंटरऐक्टिव एलएफडी) को लगाने की कार्रवाई की जा रही है। किओस्क में संदेश विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित किए जाएंगे जिनका नियंत्रण एक केंद्रीय स्थान से किया जाएगा।

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण का समावेश

5.27 सीबीएसई, एनसीएफई के साथ मिलकर कक्षा VI से कक्षा X तक के लिए वित्तीय शिक्षण वर्कबुक तैयार की गई है; इस संबंध में सीबीएसई का अंतिम अनुमोदन लिया जा रहा है। इस बीच, रिज़र्व बैंक राज्य शिक्षा बोर्डों से भी संपर्क कर रहा है कि उनके अधिकारक्षेत्र में आने वाले स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण से संबंधित वर्कबुक को शामिल किया जाए और उसे विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा जाए। चार राज्य सरकारें यथा - गोवा, मेघालय, जम्मू-कश्मीर तथा मिजोरम सरकारों ने सैद्धांतिक रूप से राज्य बोर्ड स्कूलों के पाठ्यक्रम में वित्तीय समावेशन शिक्षण को शामिल करने की सहमति दे दी है। अन्य राज्य सरकारों से हो रही चर्चाएं अलग-अलग अवस्था में है।

III. भावी दिशा

वित्तीय साक्षरता स्तर में सुधार लाना

5.28 आगे चलकर, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के स्तर में सुधार लाने के लिए भी परिकल्पना की है जिसमें एफएलसी सलाहकारों और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक शाखा प्रमुखों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम तैयार करना और इन्हें लागू करना तथा लोगों के वित्तीय ज्ञान, रुख और व्यवहार के बारे में जानना शामिल हैं।

बीसी मॉडल को बढ़ावा देना

5.29 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीसी के लिए ग्रेडवार प्रमाणन/प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले बीसी जिन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया गया हो और उन्होंने इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, को जटिल कार्य जैसे वित्तीय उत्पादों की हैंडलिंग/डिलीवरी का कार्य सौंपा जाएगा जो कि जमाराशियों और विप्रेषण से आगे का कार्य है।

5.30 बीसी प्रणाली पर ट्रैक रखने के लिए बीसी एजेंटों, जिसमें वर्तमान और नए बीसी शामिल हैं, के पंजीकरण हेतु एक ढांचा तैयार किया गया है। रजिस्ट्री में बीसी की बुनियादी जानकारी जैसे कि बीसी की पहचान, नियत स्थान बीसी का लोकेशन और परिचालनों का स्वरूप आदि रखा जाएगा।

सारणी 5.1ः वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति - सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2016 को समाप्त अवधि	सितंबर 2016 को समाप्त छमाही#
1	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स - शाखाएं	33,378	51,830	52,240
2	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखा रहित पद्धति	34,316	534,477	537,609
3	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स - कुल	67,694	586,307	589,849
4	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	102,552	91,039
5	बीएसबीडीए- शाखा के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	60.2	238.2	247.4
6	बीएसबीडीए- शाखा के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	44.3	474.1	537.9
7	बीएसबीडीए- बीसी के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13.3	230.8	247.8
8	बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	10.7	164.0	181.1
9	बीएसबीडीए-कुल (संख्या मिलियन में)	73.5	469.0	495.2
10	कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55.0	638.1	719.0
11	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	8.0	8.4
12	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	14.8	18.1
13	केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24.3	47.3	46.4
14	केसीसी-कुल (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.1	5,130.7	5,543.4
15	जीसीसी-कुल (संख्या मिलियन में)	1.4	11.3	11.5
16	जीसीसी-कुल (राशि ₹ बिलियन में)	35.1	1,493.3	1,613.2
17	आईसीटी-खाते-बीसी- कुल लेनदेन की संख्या (संख्या मिलियन में)	26.5	826.8	550.6
18	आईसीटी-खाते-बीसी- कुल लेनदेन की राशि (राशि ₹ बिलियन में)	6.9	1,686.9	1,199.2

* रिपोर्टिंग अवधि वित्तीय वर्ष 2009-10/वित्तीय वर्ष 2015-16/अप्रैल-सितंबर 2016।

अनंतिम।

ऋण सलाहकारों का प्रमाणन

5.31 वर्ष 2016-17 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, आईबीए, सिडबी और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद रिज़र्व बैंक ने ऋण सलाहकारों के प्रमाणित करने संबंधित फ्रेमवर्क को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है, ये ऋण सलाहकार उद्यमियों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली की पहुंच हेतु सुलभकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। तदनुसार, यह फ्रेमवर्क भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दे दिया गया है, क्योंकि सिडबी को उनके पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रमाणित ऋण सलाहकार योजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।